वैज्ञानिक एवं नवीकृत अनुसंधान अकादमी
विधियाँ

Academy of Scientific & Innovative Research
Statutes

यह पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ दिया है
This page is intentionally left blank

विषय सूची TABLE OF CONTENTS

विधि STATUTE	विवरण DESCRIPTION	पृष्ठ सं PAGE NO
विधि STATUTE 1	परिभाषाएँ DEFINITIONS	1
विधि STATUTE 2	शासी निकाय BOARD OF GOVERNORS	4
विधि STATUTE 3	सेनेट THE SENATE	10
विधि STATUTE 4	चांसलर CHANCELLOR	14
विधि STATUTE 5	निदेशक एवं एसोसिएट निदेशक मंडल DIRECTOR & ASSOCIATE DIRECTORS	15
विधि STATUTE 6	डीन सीएसआईआर प्रयोगशालाओं से डीन, एसोसिएट डीन और समन्वयक DEANS, ASSOCIATE DEANS& COORDINATORS FROM CSIR LABS	21
विधि STATUTE 7	कार्यपालक अधिकारी और सलाहकार EXECUTIVE OFFICERS AND ADVISORS	24
विधि STATUTE 8	कार्यपालक प्राधिकारियों द्वारा कार्यों का संचालन CONDUCT OF BUSINESS BY THE EXECUTIVE AUTHORITIES	25
विधि STATUTE 9	बोर्ड ऑफ स्टडीस BOARD OF STUDIES	30
विधि STATUTE 10	वित्त समिति THE FINANCE COMMITTEE	35
विधि STATUTE 11	अनुसंधान संस्थान/केन्द्र/इकाईयाँ RESEARCH INSTITUTES	37
विधि STATUTE 12	शैक्षणिक संकाय के पदों की स्थिति और शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति ACADEMIC FACULTY POSITIONS& APPOINTMENT OF ACADEMIC STAFF	39
विधि STATUTE 13	डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करना CONFERMENT OF DEGREES AND DIPLOMAS	43
विधि STATUTE 14	कार्यक्रम की फीस PROGRAMME FEES	44
विधि STATUTE 15	पुरस्कार, फेलोशिप, छात्रवृत्ति आदि का संस्थापन INSTITUTION OF AWARDS, FELLOWSHIPS, SCHOLARSHIPS ETC.	45
विधि STATUTE 16	सम्पदा, उपहार, वित्तीय सहायता और दान का प्रशासन ADMINISTRATION OF ESTATES, GIFTS, ENDOWMENTS AND BENEFACTIONS	47
विधि STATUTE 17	अनुशासन और आचारण DISCIPLINE AND CONDUCT	51
विधि STATUTE 18	अन्य संगठनों और संस्थाओं के साथ संबंध RELATIONSHIP WITH OTHER ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS	54
विधि STATUTE 19	अपवाद देने की शक्ति POWER TO MAKE EXCEPTION	57
विधि STATUTE 20	वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT	59

यह पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ दिया है
This page is intentionally left blank

विधि STATUTE 1

परिभाषाएँ DEFINITIONS

इन विधियों को " वैज्ञानिक एवं नवीकृत अनुसंधान अकादमी की विधियँ , 2012" कहा जाएगा। These statutes shall be called the "Academy of Scientific & Innovative Research Statutes, 2012".

जब तक कि इन विधियों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है कि: In these Statutes, unless the context otherwise requires,

- "अकादमी" या "AcSIR" का मतलब है वैज्ञानिक एवं नवीकृत अनुसंधान अकादमी ; "Academy" or "AcSIR" means the Academy of Scientific and Innovative Research;
- "बोर्ड" का मतलब है वैज्ञानिक एवं नवीकृत अनुसंधान अकादमी अकादमी के शासी निकाय; "Board" means the Board of Governors of the Academy of Scientific and Innovative Research;
- "सीएसआईआर" या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मतलब है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नाम से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसायटी; "CSIR" or "Council of Scientific and Industrial Research" means the society registered by the name of the 'Council of Scientific and Industrial Research' under the Societies Registration Act, 1860;
- "अध्यक्ष" का मतलब है शासी निकाय के अध्यक्ष; "Chairperson" means the Chairperson of the Board of Governors;
- "निदेशक" का मतलब है अकादमी के निदेशक; "Director" means the Director of the Academy;
- "एसोसिएट निदेशक" का मतलब है अकादमी के एसोसिएट निदेशक "Associate Director" shall mean Associate Director of the Academy
- 'सीएसआईआर' के विभिन्न स्तर के "प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों", "उत्कृष्ट वैज्ञानिकों" और "वैज्ञानिकों" का मतलब है 'सीएसआईआर' में उसी ग्रेड के वैज्ञानिक "Distinguished Scientists", "Outstanding Scientists" and "Scientists" of different scientific grades of the "CSIR" means scientists of the CSIR designated as such;
- अकादमी के संकाय का मतलब है अकादमी के प्रोफेसरों, प्रतिष्ठित प्रोफेसरों, उत्कृष्ट प्रोफेसरों, एमेरिटस प्रोफेसरों, वरिष्ठ प्रोफेसरों, प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, विजिटिंग संकाय, सहायक संकाय और ऐसे अन्य व्यक्तियों जिनकी नियुक्ति अकादमी द्वारा अनुरक्षित संस्थानों में प्रशिक्षण देने और शोध कार्य के लिए हैं और इनमें सीएसआईआर के ऐसे अन्य वैज्ञानिक भी शामिल हैं जिनको अकादमी में प्रशिक्षण देने और अनुसंधान कार्य चलाने का कार्यभर दिया गया है । "Faculty of the Academy" means Academy Professors, Professors of Eminence, Distinguished Professors, Outstanding Professors,Emeritus Professors, Senior Professors, Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Visiting Faculty, Adjunct Faculty and such other persons as may be appointed for imparting instructions or conducting research in the

Academy or institutions maintained by the Academy and includes such other scientists of CSIR assigned for imparting instructions or conducting research in the Academy;

- "विधियाँ " का मतलब है समय समय पर लागू अकादमी की विधियां; "Statutes" means the Statutes of the Academy for the time being in force;
- "विद्यार्थी" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने: "Student" means a person who has:

  (i) अकादमी के एक डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए दाखिला लिया है और स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं किया हो या अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ले लिया है या प्रासंगिक डिग्री या डिप्लोमा के लिए किसी भी निरंतरता की आवश्यकता को संतुष्ट करने में विफल नहीं रहा या अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के रूप में निष्कासित नहीं कर दिया गया है; या enrolled for a degree or diploma program of the Academy, and has not graduated or withdrawn from candidature or failed to satisfy any continuation requirement for the relevant degree or diploma, or has been expelled as a result of disciplinary proceedings; or

  (ii) अकादमी में फिनिशिंग स्कूल जैसे कोई डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम का अध्ययन करने के लिए पंजीकृत और अध्ययन की अवधि को पूरा नहीं किया है , या अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के रूप में निष्कासित नहीं कर दिया गया है ; registered to study at the Academy but not for a degree or diploma program such as Finishing School, and has not completed the period of study or withdrawn, or been expelled as a result of disciplinary proceedings;

- "उपाध्यक्ष" का मतलब है शासी निकाय के उपाध्यक्ष "Vice Chairperson" shall mean the Vice Chairperson of the Board of Governors.
- 'डीन' का मतलब है अकादमी के डीन "Dean" shall mean the Dean of the Academy
- "एसोसिएट डीन" का मतलब है अकादमी के एसोसिएट डीन "Associate Dean" shall mean Associate Dean of the Academy

1.1 व्याख्या Interpretation

क) शब्दों के एकवचन संख्या में बहुवचन भी शामिल है और इसके विपरीत भी । पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त शब्द में स्त्रीलिंग भी शामिल है । a) Words denoting the singular number shall also include the plural and vice versa. Words denoting the masculine gender shall include the feminine gender.

ख) एक मार्जिनल नोट या शीर्ष से किसी भी विधि के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन नहीं होगा या विधि की व्याख्या में विस्तार नहीं करेगा b) A marginal note or heading to any provision of any Statute shall not in any way vary, limit, or extend the interpretation of the Statute.

ग) किसी भी विधि की व्याख्या में उस उद्देश्य और आशय को महत्व दिया जाएगा कि जिसके लिए उसको बनाया गया है । c) In interpretation of any Statute, regard shall be had to the spirit and intention of the Statute, and to the purpose for which it was made.

घ) अकादमी के प्रशासनिक कार्यों को समुचित रूप से चलाने केलिए शासी निकाय अकादमी की विधियों में समय समय पर आवश्यक परिवर्तन या संशोधन करेगा, केवल इसी शर्त पर कि ये विधियाँ सेनेट के क्षेत्राधिकार के हो तथा केवल सेनट की सहमति से ही उसे संशोधित या रिवोक कर सकते । d) The Board of Governors may from time to time make, revise or revoke such Statutes of the Academy as may be necessary or expedient for the proper administration of the affairs or for carrying out the functions of the Academy, provided that Statutes which prescribe or provide for matters within the jurisdiction of the Senate, shall only be made, revised or revoked with the concurrence of the Senate.

ङ०) शासी निकाय समय समय पर अकादमी के ऐसे अध्यादेशों को संशोधित या रिवोक करेगा जो समुचित प्रशासन या अकादमी के कार्यों को चलाने केलिए आवश्यक हो, जो केवल सेनेट के क्षेत्राधिकार के हो केवल सेनेट द्वारा ही उसे संशोधित या रद्द कर सकते । e) The Board may from time to time make, revise or revoke such Ordinances of the Academy as may be necessary or expedient for the proper administration of the affairs or for carrying out the functions of the Academy except that Ordinances which prescribe or provide for matters within the jurisdiction of the Senate, may be made, revised or revoked by the Senate.

च) भौतिक उपस्थिति द्वारा या स्कैप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलिकोन्फ्रेंसिंग आदि संचार के विभिन्न मध्यम द्वारा भागीदारी से कोरम बन जाएगा। f) Participation either by physical presence or by various mode of communication such as Skype, Video conferencing, teleconferencing, etc. shall be considered as part of the quorum.

1.2 एस्टेट की परिभाषा Definition of Estate

इस विधि के प्रयोजन के लिए, 'सम्पदा' को भूमि संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिसे अकादमी द्वारा किसी भी माध्यम से भुगतान पर या उपहार के रूप में प्राप्त किया और जो पूरी तरह अकादमी से संबंधित है और सीएसआईआर के एक हिस्से के रूप में नहीं । सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के परिसर, घर, इमारतें या अकादमी द्वारा प्रयुक्त सीएसआईआर के किसी भी परिसर सम्पदा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा । For the purpose of this Statute, ‘Estates’ shall be defined as any or all of land property that might be owned or acquired by the Academy either through payment or received as gift and benefaction and which belongs solely to itself and does not form a part of CSIR. Campuses of CSIR laboratories, houses, buildings or any premises of CSIR used bythe Academy, shall not fall under the purview of Estates.

1.3 उपहार की परिभाषा Definition of Gifts

एक 'उपहार' को अकादमी द्वारा प्राप्त अंशदान, अनुदान, वसीयत या अन्यथा, चल और अचल संपत्ति और किसी व्यक्ति से प्राप्त धन के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो कि संसाधन या किसी वाणिज्यिक मूल्य के साथ सेवाओं की किसी भी प्रतिबद्धता के बदले में न हो । A ‘Gift’ shall be defined as a contribution, grant, testamentary disposition or otherwise, movable and immovable properties and monies from a donor that the Academy receives, without making any commitment of resources or services with a commercial value in return, other than naming opportunities and using the gift as the donor may designatein consonance with the objectives of the Academy.

विधि STATUTE 2

शासी निकाय BOARD OF GOVERNORS

2.1 कार्यपालक प्राधिकारी The Executive Authorities

शासी निकाय The Board of Governors

शासी निकाय (बोर्ड ऑफ गवेर्णस) अकादमी के शीर्षस्थ प्राधिकरण माना जाएगा जिसकी संरचना निम्नानुसार किया जाएगा: The Academy shall have a Board, which shall form the apex authority of the Academy. The composition of the Board shall be as given below:

क) बोर्ड के अध्यक्ष The a) Chairperson of the Board	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा। to be appointed by the President of the Council of Scientific and Industrial Research.
ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक b) The Director General of the Council of Scientific and Industrial Research	पदेन उपाध्यक्ष *ex officio* Vice-Chairperson
ग) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष c) The President of the Indian National Science Academy	पदेन सदस्य *ex officio* member
घ) अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग, भारत सरकार d) The Chairman, Atomic Energy Commission, Government of India	पदेन सदस्य *ex officio* member
ङ) अध्यक्ष, अंतरिक्ष आयोग, भारत सरकार, e) The Chairman, Space Commission, Government of India,	पदेन सदस्य *ex officio* member
च) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार f) The Chairman, University Grants Commission, Government of India	पदेन सदस्य *ex officio* member
छ) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त सचिव g) The Finance Secretary in the Ministry of Finance, Government of India	पदेन सदस्य *ex officio* member
ज) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्षेत्र में शिक्षा देने वाली तीन अग्रणी संस्थाओं के प्रमुख h) The heads of three premier institutions in the field of imparting education in Science and Technology	सदस्यों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिष्द के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा। members to be nominated by the President of the Council of Scientific and Industrial Research
झ) चार प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों या विश्वस्तर के शिक्षाविदों, जिनमें से दो भारत से बाहर के प्रतिष्ठित संस्थानों के हो।	सदस्यों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा। members to be nominated by the President of the Council of Scientific and

i) Four distinguished scientists or academicians of global eminence, of which two should be from reputed institutions outside India	Industrial Research
ञ) तीन प्रख्यात उद्योगपति या प्रौद्योगिकीविद j) Three eminent industrialists or technologists	सदस्यों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत members to be nominated by the President of the Council of Scientific and Industrial Research किया जाएगा।
ट) चार प्रतिष्ठित वैज्ञानिक या उत्कृष्ट वैज्ञानिक या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं के निदेशक k) Four distinguished scientists or outstanding scientists or Directors of laboratories of Council of Scientific and Industrial Research	सदस्यों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के शासी निकाय द्वारा मनोनीत किया जाएगा। members to be nominated by the Governing Body of the Council of Scientific and Industrial Research
ठ) अकादमी के निदेशक l) The Director of the Academy	पदेन सदस्य *ex officio* member
ड) एसोसिएट निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) m) Associate Director (Administration& Finance)	बोर्ड के सचिव। Secretary to the Board.

जब तक अध्यक्ष चयनित और नियुक्त नहीं है तब तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, के महानिदेशक जो कि पदेन उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लेंगे। The Director General of the Council of Scientific and Industrial Research, being the *ex officio* Vice-Chairperson, shall act as the Chairperson until the Chairperson is selected and appointed.

बोर्ड को, सीएसआईआर के अध्यक्ष के अनुमोदन के शर्त पर, उन अन्तरिम और आकास्मिक व्यवस्थाओं के लिए अधिकार है जो कि अकादमी के मामलों के कुशलतापूर्वक प्रबन्धन के लिए आवश्यक समझा जाएगा। The Board shall have the powers, subject to the approval of the President of CSIR, to make interim or contingency arrangements with respect to the Board, if deemed fit for the purpose of efficiently managing the affairs of the Academy.

2.2 अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों के नामांकन की कार्य प्रणाली Method of Appointment of Chairperson and Nomination of Members.

उपरोक्त 2.1 (ज, (झ), (ञ) के तहत सदस्यों का नामांकन सीएसआईआर के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा उपरोक्त 2.1 (ट) के तहत सदस्यों का नामांकन सीएसआईआर के शासी निकाय द्वारा किया जाएगा । The nomination of members referred to in (h), (i) and (j) under 2.1 above shall be made by the President of the Council of Scientific and Industrial Research and nomination of members referred to in (k) under 2.1 above shall be made by the Governing Board of the Council of Scientific and Industrial Research.

अध्यक्ष भारतीय नागरिक होना चाहिए और उनकी नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर सीएसआईआर के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। चयन समिति में सीएसआईआर के अध्यक्ष द्वारा

मनोनीत चार प्रख्यात वैज्ञानिक या विश्वविख्यात प्रौद्योगिकीविद होंगे। चयन समिति में कम से कम दो प्रख्यात वैज्ञानिकों या विश्वविख्यात प्रौद्योगिकीविदों को अन्तर्राष्ट्रीय सोसाइटियों अकादमियों या विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के समान संगठनों के प्रमुखों से चयनित होना चाहिए। चयन समिति के तीन सदस्यों से समिति की बैठक के लिए कोरम बन जाएगा। The Chairperson shall be an Indian citizen and shall be appointed by the President of the Council of Scientific and Industrial Research, on the recommendation of a selection committee. The selection committee shall consist of four eminent scientists or technologists of international repute, as may be nominated by the President of the Council of Scientific and Industrial Research .At least two of the eminent scientists or technologists of international repute nominated shall be selected from among the heads of international societies, academies, or similar organizations in the field of science and technology. Three members of the selection committee shall form a quorum for the meeting of the committee.

वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने से कम से कम छः महीने पहले चयन समिति का गठन किया जाना चाहिए और वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने से कम से कम तीन महीने पहले समिति की सिफारिश प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चयन समिति अपनी बैठक के लिए तथा सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को स्वयं विकसित कर सकती है तथा उसकी सिफारिश में उन व्यक्तियों के बारें में भी सिफारिश हो सकती है जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। The selection committee shall be constituted at least six months before the completion of the tenure of an incumbent Chairperson and submit its recommendations at least three months before the completion of the tenure of the incumbent Chairperson. The selection committee may evolve its own procedures for the purposes of meetings and making recommendations including making recommendations in respect of a person who has not applied for the post of Chairperson.

2.3 बोर्ड के कार्य और शक्तियॉ Functions and Powers of the Board

बोर्ड अकादमी के सामान्य अधीक्षण, दिशा निर्देश और मामलों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा और अकादमी के अधिनियम, विधि और अध्यादेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा इसे सेनेट के कृत्यों की समीक्षा करने की शक्ति है। The Board shall be responsible for the general superintendence, direction and control of the affairs of the Academy and shall exercise all the powers of the Academy not otherwise provided by the Act, the Statutes and the Ordinances, and shall have the power to review the acts of the Senate.

बोर्ड को निम्नानुसार शक्तियॉ होंगी: The Board shall have the powers to:

- क) अकादमी के प्रशासन और काम करने की नीति से संबन्धित सवालों पर निर्णय
  a) Take decisions on questions on policy relating to the administration and working of the Academy;
- ख) अकादमी में अध्ययन के पाठ्यक्रम का निर्णय b) Institute courses of study at the Academy;
- ग) विधियों को तैयार करना c) Make statutes
- घ) अकादमी में शैक्षणिक और अन्य पदों के सृजन और उसके लिए व्यक्तियों की नियुक्ति d) Institute and appoint persons to academic as well as other posts in the Academy;
- ङ) अध्यादेश पर विचार और संशोधन या उनको रद्द कर देना e) Consider and modify or cancel or rescind Ordinances;

च) अकादमी के वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और अगले वित्त वर्ष के लिए बजत अनुमान, जिसमें विकास योजनाओं के विवरण भी हो, पर विचार करते हुए रेसलूशन पास करना। f) Consider and pass resolutions on the annual report, the annual accounts and the budget estimates of the Academy for the next financial year, together with a statement of its development plans;

छ) किसी भी भूमि या भवन में अकादमी के इन्फ्रास्ट्रक्चर के निवेश पर अनुमोदन प्रदान करना। g) Approve investments in infrastructure of the Academy in any land or building;

ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन जो अधिनियम या विधियों द्वारा प्रदत्त हो सकता है। h) Exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Act or the Statutes.

बोर्ड को अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के निष्पादन और अधिनियम के अधीन जाँच के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए तो, एक या एक से अधिक व्यक्तियों की ऐसी समितियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा। The Board shall also have the power to appoint such committees of one or more persons as it considers necessary for exercise of its power and the performance of its duties and hold enquiries under the Act.

2.4 शासी निकाय के सदस्यों का कार्यकाल Term of Members of the Board

शासी निकाय के अध्यक्ष या किसी अन्य नामित सदस्य की कार्यावधि चार वर्ष तक या नए अध्यक्ष अथवा नए सदस्य की नियुक्ति , जो भी पहले हो, तक होगी । अपनी चार वर्ष की कार्यावधि के बाद वे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नामांकन केलिए पात्र नहीं होंगे । The term of office of the Chairperson or any other nominated member of the Board shall be for four years, or till the new Chairperson is appointed or any new member is nominated, as the case may be, whichever is earlier. They shall not be eligible to be reappointed as Chairperson or to be re-nominated as a member on completion of a term of four years.

एक सदस्य के रूप में कार्यरत व्यक्ति सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किए जाने केलिए पात्र नहीं होगा , लेकिन उसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है । A person who held the office of a member shall not be eligible to be re-appointed as a member but may be appointed as the Chairperson.

एक पदेन सदस्य की अवधि तब तक होगी जब तक वह अपने कार्यालय के पदभार पर रहेगा। The term of office of an *ex officio* member shall continue as long as he holds the office by virtue of which he is a member.

एक पदेन सदस्य अपने पद को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि वह अपने कार्यालय के कार्यकाल के आधार पर सदस्य है । एक निवर्तमान सदस्य तब तक अपने कार्यालय में रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति को नियुक्त या नामित किया जाएगा । An outgoing member of the Board shall, unless otherwise directed, continue in office until another person is appointed, or, as the case may be, nominated, as a member in his place.

अध्यक्ष का पद यदि उसकी मृत्यु या त्यागपत्र या किसी अन्य कारणों से रिक्त हो जाए तो नए अध्यक्ष द्वारा कार्यभार लेने तक उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा । In the event of

vacancy in the office of the Chairperson, by reason of his death or resignation or otherwise, the Vice-Chairperson shall act as the Chairperson until the new Chairperson assumes office:

अध्यक्ष के कार्यालय में रिक्ति पद के कारण नियुक्त व्यक्ति फिर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो जाए तो वह अपने इस कार्यकाल के अतिरिक्त अध्यक्ष के कार्यकाल तक, जिसके लिए उसकी नयी नियुक्ति हुई है, कार्यालय में रहने केलिए पात्र होगा । A person appointed due to a vacancy in the office of the Chairperson shall be eligible to be appointed as Chairperson only for one more term in addition to the period for which he was appointed to fill the vacancy of Chairperson.

एक नामित सदस्य का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाए तो उसकी शेष अवधि केलिए इन विधियों के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा । In the event of vacancy in the office of a nominated member by reason of his death or resignation or otherwise, the vacancy shall be filled in accordance with the provisions of these Statutes for the unexpired period of the tenure of the originally nominated member who has ceased to be a member.

यदि किसी नामित सदस्य के रिक्त पद पर शेष अवधि केलिए किसी व्यक्ति कि नियुक्ति हुई है तो वह इस कार्यावधि के अतिरिक्त केवल एक और बार सदस्य के रूप में इन विधियों के उपबंधों के अनुसार नामित होने केलिए पात्र होगा । In the event a person is nominated to fill a vacancy in the office of a nominated member, such person shall be eligible to be nominated only for one more term as member in accordance with the provisions of these Statutes in addition to the period for which he was nominated to fill the vacancy.

एक-चौथाई नामित सदस्य, जो सीएसआईआर प्रयोगशालावों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक या उत्कृष्ट वैज्ञानिक या निदेशक हो, उपर्युक्त खण्ड 2.1 के उपखण्ड (i) के अनुसार हर साल सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनके रिक्त स्थान पर नए सदस्यों को नामित किया जाएगा। यदि कई सदस्यों की एक साथ नियुक्ति होती है तो उनमें से आयु के कारण वारिष्टतम सदस्य पहले सेवानिवृत्त हो जाएगा । One-fourth of the members, being Distinguished Scientists or Outstanding Scientists or Directors of Laboratories of CSIR nominated under subsection (i) of Section 2.1 above shall retire every year and a new member shall be nominated in their place. In case the members are appointed on the same day, the senior most member by age will retire first.

2.5 शासी निकाय की बैठकें Meetings of the Board

क) शासी निकाय की बैठकों में साधारणतः बोर्ड के अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगा । अपनी बैठकों के आयोजन केलिए तथा बैठकों की कारवाई केलिए शासी निकाय अपनी प्रक्रियावों स्वयं तैयार करेगा । आम तौर पर, बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा, लेकिन आम सहमति के अभाव की स्थिति में, मतदान का सहारा हो सकता है। a) The Chairperson shall ordinarily preside over the meetings of the Board. The Board may evolve its own procedures for the purpose of conducting its meetings and transacting business therein. Normally, decisions shall be taken by consensus but in the event of a lack of consensus, voting may be resorted to.

ख) शासी निकाय की बैठक आम तौर पर साल में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी । तथापि, यदि आवश्यकता हो तो कई बार भी शासी निकाय की असाधारण बैठक बुलाने केलिए अध्यक्ष को अधिकार होगा । b) The Board shall ordinarily meet at least once a year. The Chairperson shall nevertheless have the powers to convene extraordinary meetings of the Board as many times as may be required.

ग) बैठक का नोटीस कार्यसूची के प्रासंगिक कागसातों के सहित शासी निकाय के सचिव द्वारा बैठक से कम से कम सात कार्यदिवसों के पहले दिया जाएगा। तथापि, 48 घण्टे पहले नोटीस देकर असाधारण बैठक बुलाने केलिए अध्यक्ष को अधिकार होगा । बैठक में लिए गए निर्णयों का सचिव द्वारा कार्यवृत्त तैयार करके अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा। कार्यवृत्त को अंतिम रूप में बोर्ड की अगली बैठक स्वीकृत किया जाएगा । c) Meeting notices shall be served by the Secretary to the Board at least seven working days prior to the meeting, along with relevant agenda papers slated for consideration. However, Chairperson shall have the power to convene extraordinary meetings after giving 48 hours' notice. Decisions taken in the meeting shall be recorded by the Secretary in the form of minutes and circulated to members of the Board, after the minutes are duly approved by the Chairperson. The minutes shall be finally adopted in the next meeting of the Board.

घ) शासी निकाय की बैठकों के लिए एक तिहाई सदस्यों की भागीदारी पर्याप्त होगी । कोरम के निर्धारण केलिए भौतिक उपस्थिति या स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आदि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों द्वारा भागीदारी पर्याप्त मन लिया जाएगा । बैठक के प्रारंभ में यदि कोरम नहीं है तो अध्यक्ष 30 मिनट के लिए बैठक को स्थगित करेगा। इसके बाद यदि कोरम है तो बैठक का पुनरारंभ करेगा। बैठक में उपस्थित सदस्यों के 50% (अध्यक्ष को छोड़कर) द्वारा एक प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया तो वह प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। वोटों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष द्वारा कास्टिंग वोट दिया जाएगा। d) Participation of one-third of the total strength shall constitute the quorum for the Board meetings. Participation either by physical presence or by various electronic communication modes such as Skype, Video conferencing, teleconferencing, etc. may be taken into account for determining the quorum. In case the quorum is not formed when the meeting is called to order, the Chairperson shall adjourn the meeting for 30 minutes. Thereafter the meeting may be reconvened with the members present forming the quorum. A proposal shall be deemed to be passed if more than 50% of the participating members (excluding the Chairperson) voted in favor of the proposal. In the event of equality of votes, the Chairperson shall have the casting vote.

ङ) मृत्यु, पदत्याग या किसी अन्य कारण से बोर्ड के अध्यक्ष के स्थान की रिक्ति की स्थिति में अथवा बीमारी या किसी भी अन्य अप्रत्याशित परिस्थिति में वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर प रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अकादमी के उपाध्यक्ष को छः महीनों तक या ऐसी स्थिति के बदलने, जो भी पहले हो, तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकार होगा । e) In the event of vacancy in the position of the Chairperson of the Board by reason of death, resignation or otherwise or in the event of the Chairperson not being able to discharge duties in view of illness or any other unforeseen circumstance, the Vice-Chairperson of the Academy shall have the powers to discharge the duties of the Chairperson till such time as the conditions of exigency persist or a period of six months, whichever is earlier.

च) अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा से संबन्धित मामलों को छोड़कर, शासी निकाय द्वारा निष्पादन के किसी कार्य या संकल्प को बोर्ड के सभी सदस्यों के बीच परिचालित कर बहुमत द्वारा स्वीकार करें और एक तिहाई सदस्यों द्वारा अपने मत को उसपर लिख देते हैं तो वह संकल्प शासी निकाय की बैठक में पारित तथा सब के लिए बाध्यकारी समझा जाएगा । g) Any business which may be necessary for the Board to perform except, matters relating to the annual report and accounts of the Academy, may be carried out by circulation amongst all its members and any resolution so circulated and approved by a majority of the members signing shall be as effectual and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Board provided that at least one-third of the total strength of the Board have recorded their views on the resolution.

विधि STATUTE 3

सेनेट THE SENATE

3.1 अकादमी के एक सेनेट हेगा जिसके सदस्य निम्नानुसार है: The Academy shall have a Senate comprising the following members:

क)	निदेशक a) Director	पदेन सदस्य; सीनेट के अध्यक्ष *ex officio* member; Chairperson of Senate
ख)	सभी एसोसिएट निदेशक b) Directors	*पदेन सदस्य ex officio* members
ग)	अकादमी के सभी डीन c) All Deans of the Academy	*पदेन सदस्य ex officio* members
घ)	अकादमी के बोर्ड ऑफ स्टडीस को प्रतिनिधित्व करते हुए प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र से दो प्रोफेसर d) Two Professors from each area of study represented by the Boards of Studies of the Academy	*पदेन सदस्य, बोर्ड द्वारा नामित ex officio* members, nominated by the Board
ङ)	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के दो युवा वैज्ञानिक जो शान्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेता तथा अकादमी के सकांय सदस्य हो e) Two scientists of the Council of Scientific and Industrial Research, who being the youngest in age; and recipient of Shanti Swaroop Bhatnagar award; and who are also faculty of the Academy	*वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा नामित* nominated by the Director General, Council of Scientific and Industrial Research
च)	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के दो युवा वैज्ञानिक जो सीएसआईआर के युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के विजेता तथा अकादमी के सकांय सदस्य हो f) two scientists of the Council of Scientific and Industrial Research, who being the youngest in age; and recipient of CSIR-Young Scientist award; and who are Faculty of the Academy.	*वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा नामित* nominated by the Director General, Council of Scientific and Industrial Research
छ)	सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के तीन निदेशक या विशिष्ट वैज्ञानिक या उत्कृष्ट वैज्ञानिक g)Three Directors or Distinguished Scientists or Outstanding Scientists of the Council of Scientific and Industrial Research laboratories,	*वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा नामित* nominated by the Director General, Council of Scientific and Industrial Research.
ज)	तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद विज्ञान, इंजीनियरिंग और सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक व्यक्ति जो कि सीएसआईआर के कर्मचारी न हो। h) Three persons, not being the employees of the Academy or the Council of Scientific and Industrial Research, from amongst educationists of repute, one being from each of the fields of science, engineering and Social Sciences	निदेशक के परामर्श से बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित to be nominated by the Chairperson of the Board in consultation with the Director
झ)	सभी एसोसिएट डीन i) All Associate Deans	पदेन सदस्य *ex officio members*

रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सेनेट के गैर-सदस्य सचिव होंगे। The Registrar/Assistant Registrar shall be the non-member Secretary of the Senate.

उपर्युक्त 'घ' से 'ज' तक के तहत नामित सदस्यों का कार्यकाल दो साल के लिए होगा। सेनेट के सदस्यों में, किसी भी समय, अकादमी के अध्यापन से जुडे सीएसआईआर के वैज्ञानिकों की सख्या पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा। The tenure of the nominated members under (d), to (h)above shall be for two years. The Senate shall not, at any time, have less than fifty per cent of its members from the CSIR scientists teaching in the Academy.

3.2 सेनेट के कार्य और शक्तियाँ Functions and Powers of the Senate

सेनेट को अकादमी में अनुदेश, शिक्षा और परीक्षाओं के मानकों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी सहित) अकादमी के नियंत्रण और सामान्य विनियमन के लिए अधिकार होगा, तथा विधियों और अध्यादेशों द्वारा लगाए गए अन्य अधिकारों का प्रयोग और अन्य कर्तव्यों का पालन करना होगा; इसकेलिए सेनेट निम्न कार्य करेगा: The Senate shall have the powers of control and general regulation of the Academy, with the responsibility for maintenance of standards of instruction, education and examinations in the Academy and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes and Ordinances. To this end, the Senate shall:

- क) अकादमी द्वारा प्रस्वावित पाठ्यपद्धति और पाठ्यक्रमों को तैयार करना, उनकी समीक्षा तथा संशोधन; a) Frame, review and revise curricula and courses offered by the Academy;
- ख) विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए, इस संबन्ध में बनाए गए अध्यादेश के अधीन, मार्ग निर्देश तैयार करना । b) Frame the guidelines for admission of students, subject to procedures laid down in Ordinances framed for the purpose;
- ग) अध्यादेशों में इस प्रयोजन के लिए निधारित प्रक्रिया के अधीन परीक्षाओं का संचालन, छात्रों का मूल्यांकन और परीक्षाओं का परिणाम घोषित करना। c) Conduct examinations, evaluate students and declare results of such examinations subject to the procedures laid down in Ordinances framed for the purpose;
- घ) अकादमी के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मामलों में सिफारिश देने के लिए विभिन्न समितियों की नियुक्ति; d) Appoint different committees to seek recommendations on academic and administrative affairs of the Academy;
- ङ) उपर्युक्त समितियाँ की सिफारिश पर विचार करना और उसे शासी निकाय में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना। e) Consider recommendations of the above noted committees and place them before the Board for ratification;
- च) अकादमी के निष्पादन की आवधिक समीक्षा करना; f) Make periodical review of performance of the Academy;
- छ) अकादमी का वार्षिक रिपोर्ट तथा किसी भी अन्य प्रकाशन तैयार करना जो अकादमी के कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए प्रासंगिक माना जा सकता है। g) Prepare the Academy's Annual Report and any other publications that might be considered relevant for disseminating information on the activities of the Academy
- ज) अध्यादेश में निर्धारित मार्गदर्शन के अधीन अकादमी के एस्टेट की उपयोगिता पर निर्णय लेना तथा कर्मचारी आवासों और छात्रावासों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराना। h) Decide usages for the Estates of the Academy and provide for inspection of staff residences

and students hostels as per guidelines laid down in the Ordinances framed for the purpose;

झ) अकादमी के कार्यक्रमों और कार्यकलापों के विस्तार, विविधीरण और पुन: स्थापना के संबन्ध में शासी निकाय को सिफारिश देना। i) Make recommendations to the Board for expansion, diversification and repositioning of activities and programs of the Academy;

ञ) पदों के सृजन और मौजूदा पदों के पुनर्नामकरण तथा ऐसे पदों की परिलब्धियॉं निधारित करने के संबन्ध में शासी निकाय को सिफारिश देना। j) Make recommendation to the Board for creation of posts and re-designation of existing posts along with suggestions for fixing emoluments of such posts;

ट) अध्यादेश में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्गदर्शन के अधीन वृत्तिका, छात्रवृत्तियॉं, मेडल, पुरस्कार और अवार्ड का संस्थापन। k) Institute and give stipends, scholarships, medals, prizes and confer awards in accordance with provisions in the Ordinances framed for the purpose;

ठ) अध्यादेश में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्गदर्शन के अधीन अकादमी में विदेशी छात्रों के प्रवेश; आईपीआरएस से संबन्धित विभिन्न मुद्दों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना। l) Frame guidelines on various issues such as admission of overseas students; IPRs of the Academy etc. in accordance with Statutes and Ordinances framed for the purpose;

ड) किसी भी अन्य शैक्षणिक मुद्दों को हल करना। m) For resolving any other academic issues; and

ढ) शासी निकाय द्वारा निदेशित किसी भी अन्य कार्य का निष्पादन। n) perform such other functions as may be directed by the Board of Governors.

3.3 सेनेट की बैठकें Meetings of the Senate

क) सेनेट की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार होगी। सेनेट के अध्यक्ष की सलाह पर सेनेट के सचिव द्वारा बैठक बुलाई जाएगी। सेनेट की बैठक अध्यक्ष के अपने पहल पर या सेनेट के कम से कम 25% सदस्य के हस्ताक्षरित माँग पर बुलाई जाएगी। a) The Senate shall meet at least thrice in a year. The meetings shall be convened by the Secretary to the Senate on the advice of the Chairperson of the Senate. The meetings shall be convened either at the own initiative of the Chairperson of the Senate or on signed requisition of at least 25% of the members of the Senate.

ख) सेनेट की साधारण बैठक के लिए कम से कम पाँच कार्य दिनों के पहले और मँगाई बैठक के लिए तीन कार्यदिनों के पहले सेनेट के सचिव द्वारा नोटीस जारी किया जाएगा। b) Notices for meetings of the Senate shall be issued by the Secretary to the Senate at least five working days in advance for ordinary meetings and three working days in advance for requisitioned meetings.

ग) सेनेट की बैठक में साधारणत: अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाएगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सह निदेशक(शैक्षणिक) द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। c) The Senate meetings shall normally be chaired by the Chairperson of the Senate. When the Chairperson of the Senate is absent, the Associate Director (Academic) shall preside over the meeting.

घ) बैठक में एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति कोरम के लिए पर्याप्त होगी। बैठक में भौतिक उपस्थिति द्वारा या स्कैप, वीडियो कन्फ्रेन्सिंग, टेली कोन्फ्रेन्सिंग आदि संचार साधनों के मध्यम से बैठक में भागीदारी कोरम के निर्धारण के लिए पर्याप्त माना जाएगा। यदि बैठक का ऑर्डर करते समय कोरम नहीं है तो अध्यक्ष 30 मिनट के लिए बैठक स्थगित करेंगे और उसके बाद सदस्यों की उपस्थिति से कोरम बन जाए तो बैठक पुन: चालू की जाएगी। d) One-third of the total strength shall constitute the quorum for Senate meetings. Participation either by physical presence or by various communication modes such as Skype, video conferencing, teleconferencing, etc. may be taken into account for determining the quorum. In case the quorum is not formed when the meeting is called to order, the Chairperson for the meeting shall adjourn the meeting for 30 minutes. Thereafter the meeting may be reconvened with the members present forming the quorum.

ङ) सेनेट के सचिव द्वारा कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा तथा अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद उसे परिचालित किया जाएगा। अकादमी के संकाय सदस्यों से संबन्धित मुख्य निर्णयों को बाद में अनुसमर्थन के लिए शासी निकाय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आम तौर पर, निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। अगर किसी भी मुद्दे पर आम सहमति का अभाव है तो मतदान हो सकता है और 50% सदस्यों के (सेनेट के अध्यक्ष को छोडकर) महुमत से निर्णय लिया जाएगा। अगर किसी भी मुद्दे पर मतदान में वोट की समानता की स्थिति में उस बैठक का अध्यक्ष कास्टिंग मतदान करेंगे। e) The minutes of the meeting of the Senate shall be prepared by the Secretary to the Senate, and duly approved by the Chairperson of the Senate before being circulated. Major decisions pertaining to faculty of the Academy contained therein shall be subsequently placed before the Board for ratification. Normally, decisions shall be taken by consensus. If there is lack of consensus on any issue, voting may be resorted to and the proposal may be decided by a majority of more than 50% of members (excluding the Chairperson of the Senate) participating and voting. In the event of equality of votes when voting is resorted to on any issue, the Chairperson for that meeting shall have the casting vote.

च) सेनेट के किसी कार्य के निष्पादन के लिए किसी संकल्प अपने सदस्यों के बीच परिचालित कर बहुमत द्वारा स्वीकृत करें तथा एक तिहाई सदस्य अपने मत को उसपर लिख देते हैं तो उसे सेनेट की बैठक एक तिहाई बहुमत के साथ पारित माना जाएगा। f) Any business which may be necessary for the Senate to perform may be carried out by circulation amongst all its members and any resolution so circulated and approved by a majority of the members agreeing shall be as effectual and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Senate provided that at one third of the members of the Senate have recorded their views on the resolution.

छ) सेनेट के सभी निर्णय और शासी निकाय की सिफारिश एसीएसआईआर अधिनियम, 2011 के खण्ड-5(ii) के अनुसार सीएसआईआर और एसीएसआईआर के बीच के समझौते के अधार पर प्रचालित होगी। g) All the decisions of the Senate and recommendation of the Board shall be in conformity with the MoU between CSIR and AcSIR as operative (Clause 5(ii) of the AcSIR Act, 2011).

विधि STATUTE 4

चांसलर CHANCELLOR

4.1 शासी निकाय के अध्यक्ष अकादमी के चाँसलर होंगे। The Chairperson of the Board shall be the Chancellor of the Academy.

4.2 चांसलर साधारणतः अकादमी के दीक्षाँत समारोह में अध्यक्षता करेंगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष चांसलर के रूप में कार्य करेंगा। The Chancellor shall ordinarily preside over the Convocations of the Academy. The Vice-Chairperson shall act as the Chancellor in the absence of the Chairperson.

विधि STATUTE 5

निदेशक और एसोसिएट निदेशक मंडल
DIRECTOR & ASSOCIATE DIRECTORS

5.1 निदेशक The Director

निदेशक भारतीय नागरिक और अकादमी के प्रमुख शैक्षिक तथा कार्यपालक अधिकारी होगा। वह अकादमी के प्रशासन के लिए तथा शिक्षा एवं अनुसंधान प्रदान करने और अनुशासन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। The Director shall be an Indian citizen and the chief academic and executive officer of the Academy. He shall be responsible for the administration of the Academy and imparting of instruction, research and maintenance of discipline.

5.2 निदेशक की नियुक्ति Appointment of Director

निदेशक को एक खोज-एवं-चयन समिति की सिफारिश पर सीएसआईआर के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह समिति निम्नानुसार होगी: The Director shall be appointed, by the President of CSIR, on recommendation of a Search-cum-Selection Committee comprising:

- क) शासी निकाय के अध्यक्ष; a) The Chairperson of the Board;
- ख) शासी निकाय के उपाध्यक्ष ; b) The Vice-Chairperson of the Board;
- ग) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष; c) The President of the Indian National Science Academy;
- घ) अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग, भारत सरकार; और d) The Chairman, Atomic Energy Commission, Government of India; and
- ङ) अध्यक्ष, अंतरिक्ष आयोग, भारत सरकार। e) The Chairman, Space Commission, Government of India

वर्तमान निदेशक का कार्यकाल पूरा होने से कम से कम छः महीने पहले चयन समिति का गठन किया जाना चाहिए और वर्तमान निदेशक के कार्यकाल पूरा होने से कम से कम तीन महीने पहले अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किया जाना चाहिए । The selection committee shall be constituted at least six months before the completion of tenure of an incumbent Director and submit its recommendations at least three months before the completion of the tenure of the incumbent Director.

खोज एवं चयन समिति अपनी बैठकों के लिए और निदेशक के पद के लिए योग्य व्यक्ति के बारे में सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए अपनी प्रक्रिया बनाएगी तथा इस पद के लिए उस व्यक्ति के बारे में भी विचार करेगा जिन्होंने इसकेलिए आवेदन प्रस्तुत नही किया है। The search-cum-selection committee may evolve its own procedure for the purposes of meetings and making recommendations for the position including making recommendations in respect of a person who has not applied for the post of Director.

खोज-एवं-चयन समिति की बैठक में कोरम के लिए तीन सदस्यों की उपस्थित पर्याप्त होगी। Three members of the search-cum-selection committee shall form the quorum for the meeting of the committee.

5.3 निदेशक के कार्याकाल की अवधि Term of office of Director

निदेशक का कार्यकाल साधारण: उनकी नियुक्ति की तारीख से पाँच वर्ष तक होगी। निदेशक का कार्यकाल उनके 70 वर्ष की आयु तक विस्तार करने के लिए एक मूल्यांकन समिति विचार करेगी। इस समिति में निदेशक की नियुक्ति की खोज-एवं-चयन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य होंगे। The term of office of the Director shall ordinarily be for period of five years from the date of appointment. Extension of tenure of the Director till the age of 70 years may be considered by an Evaluation Committee having at least three members of the Search-cum-Selection Committee for Director including the Chairperson and Vice Chairperson.

शासी निकाय में यह शक्ति निहित है कि वह सीएसआईआर के अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन अकादमी के निदेशक को कार्यकाल पूरा करने से पहले हटा सकता है। इससे संबन्धित प्रस्ताव दो-तिहाई सदस्यों की सिफारिश पर पारित माना जाएगा। तदुपरान्त, सीएसआईआर के अध्यक्ष द्वारा इसके अनुसमर्थन से निदेशक को हटाना प्रभावी हो जाएगा। The Board shall be vested with the powers for removing the Director before the completion of his term, subject to the approval of the President of CSIR. The motion in this regard shall be deemed to be passed when recommended by two-thirds of its members. The removal of the Director shall take effect when, subsequently ratified by the President of CSIR.

प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, चिकित्सा या अन्य प्रकार की छुट्टी पर जाने या त्यागपत्र दने या किसी अन्य कारण से निदेशक के अभाव में उनकी वापसी तक या नए निदेशक की नियमित नियुक्ति तक वरिष्ठतम सह-निदेशक अकादमी के निदेशक के कर्तव्यों का पालन करेंगे। In the absence of the Director of the Academy on account of deputation, transfer, medical or other leave, resignation or any other reason, the senior-most Associate Director will discharge the duties of the Director of the Academy till the return of the Director to the office or till the position of Director is filled up by regular appointment.

5.4 निदेशक के कर्तव्य और शक्तियाँ Duties and Powers of Director

अकादमी के निदेशक के निम्नलिखित कर्तव्य और शक्तियाँ होंगी:- The Director of the Academy shall have the following powers and duties:

क) एसीएसआईआर की विधियों और अध्यादेशों द्वारा किसी अन्य पादाधिकारी को प्रत्यायोजित कार्यभार को छोडकर, अकादमी के शासी निकाय और सेनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना निदेशक का कर्तव्य होगा। a) The Director shall have the duty to implement the decisions taken by the Board and the Senate of the Academy other than the ones delegated by Statutes/Ordinances to other functionaries of AcSIR;

ख) अनुमोदित बजत में धन की उपलब्धता के शर्त पर निदेशक को अध्यादेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा शासी निकाय, सेनेट और वित्त समिति द्वारा समय समय पर लिए जा रहे निर्णयों के अनुसार व्यय करने की शक्ति है। b) Subject to availability of funds in the approved budget, the Director shall have the power to incur expenditure in accordance with the procedures as laid down in the Ordinance and in terms of decisions taken by the Board, Senate and the Finance Committee from time to time;

ग) निदेशक को वित्त समिति द्वारा अनुमोदित हद तक धन के पुन: उपयुक्त करने की शक्ति है। c) The Director shall have the powers to re-appropriate funds to the extent as approved by the Finance Committee;

घ) निदेशक को वित्त समिति की सहमति तथा सेनेट और शासी निकाय के अनुसमर्थन के शर्त पर शासी निकाय द्वारा निर्धारित हद तक ऋण, वसूली और अटल घाटा को वेइव-ऑफ करने की शक्ति है । d) The Director shall have the powers, subject to concurrence of the Finance Committee and ratification of the Senate and Board, to waive off loans, recoveries and irrevocable losses, to the extent that might be fixed by the Board;

ङ) निदेशक अकादमी की सभी नियुक्तियाँ करेंगे, नियुक्तियों के लिए चयन समितियों का गठन करेंगे, तथा उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ पदाधिकारियों के प्रारंभिक वेतन और नियुक्ति के स्तर के लिए सिफारिश देंगे। e) The Director shall make all appointments to the Academy, constitute Selection Committees for such appointments, recommend initial pay of the incumbents and decide on the level of appointment to be offered with the approval of the authority as appropriate;

च) निदेशक को अकादमी में छात्रों के प्रवेश के लिए पात्रता के मानदंडों और मूल्यॉकन के मानकों के निर्धारण तथा ऐसे सभी प्रवेश को अनुमोदित करने की शक्ति है। f) The Director shall have the powers to fix the eligibility criteria and standards for assessment/evaluation for admissions to the Academy and approve all such admissions;

छ) अकादमी की इमारतें, छात्रावास, अतिथिगृह और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के किराए और फीस वित्त समिति की सिफारिश और सेनेट के अनुमोदन के शर्त पर निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। g) The Director shall fix the rents and fees for buildings, hostels, guesthouses and other infrastructure of the Academy, subject to recommendations of the Finance Committee and approval by the Senate;

ज) निदेशक वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा शासी निकाय को प्रस्तुत करेंगे। h) The Director shall submit the annual report and the annual accounts of the Academy to the Board;

झ) निदेशक को, सीनेट की सिफारिश और शासी निकाय के अनुमोदन के शर्त पर, अकादमी के अस्थाई पदों के सृजन और उन पदों के लिए संविदात्मक आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों की तैनाती तथा ऐसी नियुक्तियों के लिए शासी निकाय के अनुसमर्थन लेने की शक्ति है। i) The Director shall, subject to the criteria recommended bythe Senate and approved by the Board, have the powers to create temporary posts in the Academy and induct suitable individuals in the said posts on contractual basisand have such appointments ratified by the Board;

ञ) सेनेट के अनुमोदन और शासी निकाय के अनुसमर्थन से अकादमी के किसी भी शैक्षिक कर्तव्य और कार्यों को निदेशक आऊटसोर्स कर सकते हैं। j) Director may outsource any academic duties and functions with the approval of the Senate and ratification of the Board;

ट) निदेशक या उनके नामिती अकादमी की ओर से सभी समझौतों, ठेके और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेगा। k) The Director or his nominee shall sign all agreements, contracts and MoUs on behalf of the Academy;

ठ) निदेशक को अकादमी के शैक्षणिक स्टाफ के लिए सबैटिकल अवकाश प्रदान करने तथा उन्हें व्यक्तिगत विकास के प्रशिक्षण के लिए, यदि आवश्यक हो तो, भेजने की शक्ति है। l) The Director shall have the powers to grant sabbaticals to members of the academic staff of the Academy and also send the staff of the Academy for training and personal development, if required

ड) विशिष्ट क्षेत्रों में अकादमी के जनादेश को आगे बढाने हेतु सलाह देने के लिए समितियों,कार्यबल और कार्य समूह के गठन के लिए निदेशक को विशेषाधिकार है। m) The Director shall have the discretion of constituting Committees, Task Forces and Working Groups for advising and advancing the mandate of the Academyin specific areas;

ढ) निदेशक विधियों में विनिर्दिष्ट किए गए या अध्यादेशों द्वारा निर्धारित या शासी निकाय द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे। n) The Director shall perform such other duties as may be specified in the Statutes, or prescribed by the Ordinances or through notifications from time to time by the Board of Governors.

निदेशक अकादमी के शासी निकाय के अनुमोदन से अपनी शक्तियाँ अन्य उपयुक्त अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं। The Director shall have the right to delegate his powers to other suitable officers of the Academy with approval of the Chairperson of Board of Governors.

5.5. निदेश के लिए पारिश्रमिक Compensation for Director

स्थाई निदेशक के लिए पारिश्रमिक उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा के आधार पर नियत और निष्पत्ति आधारित वेरियबिल कोंपोणेण्ड जैसे दो घटकों में खोज-एवं-चयन समिति द्वारा सिफारिश किया जाएगा तथा शासी निकाय द्वारा इसका अनुसंमर्थन किया जाएगा। Compensation for the position of permanent Director shall be recommended by the Search-cum-Selection Committee commensurate with the eminence of the person and shall have both fixed and performance based variable component and shall be ratified by the Board.

5.6 एसोसिएट निदेशक मंडल The Associate Directors

अकादमी के पॉच एसोसिएट निदेशक होंगे; जैसे एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक) एसोसिएट निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), एसोसिएट निदेशक (छात्र कार्य), एसोसिएट निदेशक (संसाधन विकास एवं नेट्वर्क) और एसोसिएट निदेशक (संस्थान के मामले एवं आईसीटी सुविधाएं)। प्रशासनिक सुविधा और शैक्षणिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए शासी निकाय इन एसोसिएट निदेशकों को किसी अन्य पदनाम दे सकता हैं। There shall be five Associate Directors, namely Associate Director (Academic), Associate Director (Admin & Finance), Associate Director (Student Affairs), Associate Director (Resource Development& Network) and Associate Director (Institute Affairs and ICT Infrastructure).The Board may assign any other designation for the Associate Directors, for the purpose of administrative convenience or academic efficiency.

5.7 एसोसिएट निदेशकों की नियुक्ति Appointment of Associate Directors

एसोसिएट निदेशको को अकादमी के निदेशक द्वारा शासी निकाय के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ सामन्यत: अकादमी के प्रोफेसरों और/या अकादमी के शैक्षणिक गतिविधियों में तैनात सीएसआईआर के वैज्ञानिकों में से नियुक्त किया जाएगा। The Associate Directors shall be appointed by the Director of the Academy with approval of the Chairman of the Board of Governors, ordinarily from among the Professors of the Academy and/or scientists from CSIR engaged in academic activity of the Academy.

एसोसिएट निदेशक के चयन के लिए खोज-एवं-चयन समिति का गठन निम्नानुसार होगा: The composition of the Search-cum-Selection Committee for selection of Associate Directors shall be:

i) सी निकाय के उपाध्यक्ष(अध्यक्ष) Vice Chairman of the Board (Chairman)
ii) अकादमी के निदेशक The Director of the Academy
iii) शासी निकाय के एक सदस्य (शासी निकाय के उपाध्यक्ष द्वारा नामित) One member of the Board (Nominated by the Vice Chairman from the Board members)
iv) तीन विशेषज्ञ(कम से कम दो विशेषज्ञ गैर सीएसआईआर के हो)-सदस्य के रूप में (इनके नाम उपाध्यक्ष के अनुमोदन के लिए निदेशक द्वारा सिफारिश किया जाएगा) Three experts (out of whom at least 2 shall be non-CSIR experts) as members (Director shall recommend the names for Vice Chairman's approval)

उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम खोज एवं चयन समिति द्वारा शासी निकाय के सभी सदस्यों; सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के सभी निदेशकों तथा सीएसआईआर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों से मँगाया जाएगा। सीएसआईआर में उत्कृष्ठ वैज्ञानिकों के चयन की जो प्रक्रिया है उसे एसोसिएट निदेशकों के चयन के लिए स्वीकार किया जाएगा। Names of suitable candidates shall be sought by the Search-cum-Selection Committee from all members of the Board; Directors of CSIR labs and Distinguished Scientists of CSIR. The procedure for selection of Outstanding Scientists by CSIR shall be followed for selection of Associate Directors.

विभिन्न एसोसिएट निदेशकों की नियुक्ति के लिए खोज एवं चयन समिति की सिफारिश निदेशक द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। Recommendations of the Search-cum-Selection Committee for appointment of different Associate Directors shall be submitted by the Director to the Chairperson for his approval.

5.8 एसोसिएट निदेशकों की कार्यावधि Term of office of Associate Directors

एसोसिएट निदेशक की कार्यावधि प्रारंभ में नियुक्ति की तारीख से तीन से पाँच वर्ष तक अथवा खोज एवं चयन समिति की सिफारिश के आधार पर शासी निकाय के निर्णय के अनुसार 65 वर्ष की आयु तक होगी। कार्यनिष्पत्ति के आधार पर उनका कार्यकाल फिर बढाया जा सकता है। The term of the office of the Associate Director shall be initially for a period of three to five years from the date of appointment or till the age of 65 years as decided by the Board on recommendation of the Search-cum-Selection Committee. The tenure may be further extended depending on the performance.

एसोसिएट निदेशक को तीन महीनों की नोटीस पर निदेशक द्वारा लाया गया तथा सेनेट और शासी निकाय अपने दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है। नोटीस अवधि के बदले, एसोसिएट निदेशक को भुगतान भी किया जा सकता है। The Associate Director might be removed with a 3 months' notice from office through a resolution moved by the Director and approved by two-thirds majority of the Senate and the Board, respectively. In lieu of the notice period, the Associate Director may be paid his remuneration.

5.9 एसोसिएट निदेशकों के कर्तव्य और उनकी शक्तियाँ Dutiesand Powers of Associate Directors

निदेशक को एसोसिएट निदेशक अपने पदनाम के अनुसार शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय, प्रचालन या अन्य कार्यों के निर्वाहन में सहायता करेंगे तथा निदेशक या शासी निकाय द्वारा आसाइन की गई जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। The Associate Director shall assist the Director in discharging academic, administrative, financial, operational and other functions consistent with the designation and carry out responsibilities as may be assigned to him by the Director or the Board.

5.10 एसोसिएट निदेशकों के लिए पारिश्रमिक Compensation for Associate Directors

स्थाई एसोसिएट निदेशकों का पारिश्रमिक उनकी योग्यता और प्रतिष्ठा के आधार पर तथा निष्पत्ति आधारित वेरियबिल घटक खोज एवं चयन समिति की सिफारिश के आधार पर अकादमी के निदेशक द्वारा तय किया जाएगा तथा इसे शासी निकाय द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। Compensation for the position of permanent Associate Directors shall be fixed by the Director of the Academy on recommendation of the Search-cum-Selection Committee commensurate with the eminence and proven/potential competence of the candidate and shall have both fixed and a performance based variable component which shall have to be ratified by the Board.

विधि STATUTE 6

सीएसआईआर प्रयोगशालाओं से डीन, एसोसिएट डीन और समन्वयक
DEANS, ASSOCIATE DEANS AND COORDINATORS FROM CSIR LABS

6.1 डीन The Deans

डीन को सीएसआईआर के उन वैज्ञानिकों में से नियुक्त किया जाएगा जो शैक्षाणिक गतिविधियों में लगो हो और एसीएसआईआर के संकाय सदस्य हो तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्टित हो। डीन अकादमी के शैक्षणिक कार्यों के निर्वाहन में सहायता करेंगे। साधारणत: जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अभियाँत्रिकी विज्ञान, गणितीय एवं सूचना विज्ञान और भौतिकी विज्ञान के लिए एक-एक डीन होंगे। Deans shall be appointed from among the scientists of CSIR engaged in academic activities who are part of AcSIR faculty and have eminent scientific standing with national and international recognition. Deans shall assist in discharging the academic functions of the Academy. Normally, there shall be one Dean each for Biological Science, Chemical Science, Engineering Science, Mathematical & Information Science and Physical Science.

6.2 डीन की नियुक्ति Appointment of Deans

डीन की नियुक्ति निदेशक द्वारा एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक) के परामर्श और शासी निकाय के अध्यक्ष के अनुमोदन से की जाएगी। डीन की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले शासी निकाय के अध्यक्ष शासी निकाय के उपाध्यक्ष/सीएसआईआर के महानिदेशक से परामर्श लेंगे। The Deans shall be appointed by the Director in consultation with Associate Director (Academic), with the approval of the Chairman of the Board. The Chairman of the BoG will consult with Vice Chairman, BoG/DG, CSIR before approving the appointment of the Deans.

6.3 डीन की कार्यावधि Term of office of Deans

डीन की कार्यावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष तक होगी जिसे सेनेट की सिफारिश और शासी निकाय/शासी निकाय के अध्यक्ष के अनुमोदन से और भी तीन वर्ष की अवधि तक विस्तार किया जा सकता है। The term of office of a Dean shall be for a period of three years from the date of appointment, extendable by another term of three years or such lesser period as may be recommended by the Senate and as approved by the Board/Chairman of the Board.

एक डीन को निदेशक द्वारा लाए गए तथा सेनेट और शासी निकाय, दोनों के दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। A Dean might be removed from office through a resolution moved by the Director and approved by two-thirds majority of the Senate and the Board, respectively.

6.4 डीन के कार्य और उनकी शाक्तियाँ Functions and Powers of the Deans

एक डीन संबन्धित क्लस्टर, जिसकेलिए उनकी नियुक्ति हुई हो, का प्रभारी होगा और वह निदेशक और एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक) को अकादमी के शैक्षणिक कार्यों के निर्वाहन में सहायता करेंगा। निदेशक/एसोसिएट निदेशक(शैक्षणिक), यदि आवश्यक समझा जाए तो, उसको अन्य कार्य भी दे सकता है। A Dean shall be in charge of the respective cluster for which he has been appointed and shall assist the Director and Associate Director(Academic) in discharging the academic functions of the Academy. He may be assigned other functions as considered necessary by the Director /Associate Director (Academic).

6.5 अकादमी के डीन को पारिश्रमिक/मानदेय Compensation/Honorarium for Deans of the Academy

डीन का पारिश्रमिक/मानदेय अकादमी के एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक) की सिफारिश पर अकादमी के निदेशक द्वारा निर्धारित तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
Compensation/honorarium for the position of Deans shall be fixed by Director of the Academy on recommendation of the Associate Director (Academic) of the Academy and shall be approved by the Board.

6.6 एसोसिएट डीन Associate Deans

अकादमी के शैक्षणिक कार्यों के निर्वाहन में मदद करने के लिए शैक्षणिक कार्यों मे लगे हुए सीएसआइ्आर के वैज्ञानिकों में से एसोसिएट डीन को नियुक्त किया जाएंगा। साधारणत: जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय एवं सूचना विज्ञान और भौतिक विज्ञान के लिए एक-एक एसोसिएट डीन होगा। Associate Deans shall be appointed from among scientists of CSIR engaged in academic activities to assist in discharging the academic functions of the Academy. Normally, there shall be one Associate Dean each for Biological Science, Chemical Science, Engineering Science, Mathematical & Information Science and Physical Science.

6.7 एसोसिएट डीन की नियुक्ति Appointment of Associate Deans

एसोसिएट डीन की नियुक्ति निदेशक द्वारा एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक) के परामर्श से तथा सेनेट की सिफारिश पर शासी निकाय के अनुमोदन सहित किया जाएगा। एसोसिएट डीन की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले शासी निकाय के अध्यक्ष शासी निकाय के उपाध्यक्ष/सीएसआईआर के महानिदेशक से परामर्श लेंगे। Associate Deans shall be appointed by the Director in consultation with Associate Director (Academic), with the approval of the Chairman of the Board on recommendation of the Senate. The Chairman of the BoG will consult with Vice Chairman, BoG/DG, CSIR before approving the appointment of the Associate Deans.

6.8 एसोसिएट डीन की कार्यावाधि Term of office of Associate Deans

एसोसिएट डीन की कार्यावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक होगी जिसे और भी तीन वर्ष या उससे कम अवधि तक सेनेट की सिफारिश पर शासी निकाय के अनुमोदन से बढाया जा सकता है। The term of office of an Associate Dean shall be for a period of three years from the date of appointment and may be extended by another three years or less as maybe recommended by the Senate and approved by the Board.

6.9 एसोसिएट डीन के कार्य और उनकी शक्तियाँ Function and Powers of the Associate Deans

एक एसोसिएट डीन संबन्धित क्लस्टर, जिसके लिए नियुक्ति हुई हो, का प्रभारी होगा और बह अपने क्लस्टर के शैक्षणिक कार्यों के निर्वाहन में तत्सबन्धी क्लस्टर के एसोसिएट निदेशक और डीन की सहायता करेंगा। संबन्धित क्लस्टर के एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक) और डीन द्वारा, यदि आवश्यक मानें तो, उसको अन्य कार्यों का भी असाइन किया जा सकता है। An Associate Dean shall be in-charge of the respective cluster for which he has been appointed and shall assist the Associate Director and the Dean of the corresponding cluster in discharging academic

activities of the Academy. He may be assigned other functions as felt necessary by the Associate Director (Academic) and the Dean of the concerned cluster.

6.10 एसोसिएट डीन को हटाना Removal of Associate Dean

एक एसोसिएट डीन को यदि उसकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती तो अथवा संबन्धित डीन और एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक) की सिफारिश पर निदेशक द्वारा दर्ज किए गए किसी अन्य कारण के लिए उसके पद से हटाया जा सकेगा। An Associate Dean may be removed from his office if his services are not found satisfactory or for any other reason to be recorded by the Director on the recommendation of the concerned Dean and Associate Director (Academic).

6.11 अकादमी के एसोसिएट डीन के पारिश्रमिक/मानदेय Compensation/Honorarium for Associate Deans of the Academy

एसोसिएट डीन के पारिश्रमिक/मानदेय एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक) की सिफारिश पर अकादमी के निदेशक द्वारा तय किया जाएगा और इसे शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। Compensation/honorarium for the position of Associate Deans shall be fixed by Director of the Academy on recommendation of the Associate Director (Academic) and shall be approved by the Board.

6.12 विभिन्न प्रयोगशालाओं लिए समन्वयकों की नियुक्ति Appointment of Coordinators of different labs

विभिन्न प्रयोगशालाओं में एसीएसआईआर की गतिविधियों के लिए समन्वयकों के नाम प्रयोगशालाओं के निदेशकों द्वारा संबन्धित क्लस्टर के डीन को अग्रेषित किया जाएगा जिसे अकादमी के निदेशक द्वारा अनुमोदन तथा सेनेट द्वारा अनुसमर्थन किया जाएगा। Names of Coordinators for AcSIR activities at different labs shall be forwarded by the Directors of the Labs to the respective Cluster Deans and shall be approved by the Director of the Academy and ratified by the Senate.

6.13 अकादमी के प्रयोगशाला समन्वयकों के लिए पारिश्रमिक/मानदेय Compensation/Honorarium for Lab Coordinators of the Academy

प्रयोगशाला समन्वयकों के लिए पारिश्रमिक/मानदेय एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक) के अनुमोदन पर अकादमी के निदेशक द्वारा तय किया जाएगा और इसे शासी निकाय द्वारा अनुसमर्थन किया जाएगा। Compensation/honorarium for the position of Lab Coordinators shall be fixed by Director of the Academy on recommendation of the Associate Director (Academic) and shall be ratified by the Board.

विधि STATUTE 7

कार्यपालक अधिकारी और सलाहकार EXECUTIVE OFFICERS AND ADVISORS

7.1 अन्य कार्यपालक अधिकारियों और सलाहकारों की नियुक्ति Appointment of other Executive Officers and Advisors

उपयुक्त गैर-शैक्षणिक कार्यपालक अधिकारियों और सलाहकारों को नियुक्त करने के लिए, अध्यादेशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, निदेशक को शक्ति है। Director shall have the power to appoint other suitable non-academic Executive Officers and Advisors, subject to provisions laid down in Ordinances.

गैर-शैक्षणिक कार्यपालक अधिकारियों और सलाहकारों की नियुक्ति के सभी विस्तार, प्रत्येक मामले के आधार पर, निदेशक द्वारा, एसोसिएट निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) की सिफारिश पर, किया जाएगा। All extensions of appointment of non-academic Executive Officers and Advisors shall be made on a case by case basis by the Director on the recommendation of the Associate Director (Administration& Finance).

ऐसे गैर-शैक्षणिक कर्तव्यों और कार्यों को अऊटसोर्स करने के लिए निदेशक को शक्ति है, जिनकेलिए एसे स्तर के कर्मचारियों की सेवा आवश्यक समझा जाता है। The Director shall have the power, to outsource such non-academic duties and functions for such periods, in such areas and at such levels of staff as may be deemed necessary.

विधि STATUTE 8

कार्यपालक प्राधिकारियों द्वारा कार्यों का संचालन CONDUCT OF BUSINESS BY THE EXECUTIVE AUTHORITIES

8.1 कार्यपालक प्राधिकारियों द्वारा कार्यों के संचालन के नियम Rules of Conduct of Business by the Executive Authorities

अकादमी के कार्यपालक प्राधिकारी और कार्यपालक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को इस प्रकार पूरा करेंगे कि जिससे अकादमी का संचालन अत्यंत कुशल स्तर को प्राप्त कर सकते। इसकेलिए, अकादमी का संचालन सभी मामलों में सर्व सहमति से होगा। The Executive Authorities and Executive Officers of the Academy shall carry out their responsibilities in a manner so as to achieve a highly efficient level of functioning of the Academy. To this end, the operation of the Academy shall be such that it would function in unison in all matters.

अकादमी के सभी एक्सिक्यूटीव फंग्शन के लिए अकादमी के निदेशक की अध्यक्षता में एक अपेक्स समिति है जिसमें सभी एसोसिएट निदेशक सदस्य हैं और इस समिति द्वारा सामान्य नीति के दिशा निर्देश तैयार किया जाएगा। For all executive function of the Academy, an Apex Committee Chaired by the Director of the Academy shall be formed having all Associate Directors as members for formulating general policy guidelines.

8.2 कार्यों का संचालन Conduct of Business

जिन कार्यों को प्रत्येक एसोसिएट निदेशक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में किया जाना अपेक्षित है उनके लिए निदेशालयों का गठन किया जाएगा, जब कि जो कार्य उपयुक्त अधिकारियों को प्रत्यायोजित किया जा सकता है उनकेलिए कार्यालय का गठन किया जाएगा। वर्तमान में, इसकी संरचना निम्नानुसार है: Functions that require to be undertaken under the direct supervision of each of the Associate Directors shall be constituted into Directorates, while those that could be delegated to suitable officers shall be formed as offices. Presently, the following structure shall remain in place:

क) **अकादमिक मामलों का निदेशालय a) Directorate of Academic Affairs**

अकादमिक मामलों का निदेशालय एसोसिएट निदेशक (अकादमिक) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करेगा जिनको सबन्धित क्लस्टर के डीन सहायता करेंगे। निदेशालय का कार्य संचालन निम्नानुसार होगा: The Directorate of Academic Affairs shall function under the direct supervision of the Associate Director (Academic) who shall be assisted by the respective Cluster Deans. The functions of the Directorate shall be as follows:

i) पाठ्यक्रम मोड्यूल सिलबस आदि तैयार करने में शासी निकाय, सेनेट और बोर्ड ऑफ स्टडीस की सहायता करना। To assist the Board, Senate and Boards of Studies in framing course modules, syllabi etc.;

ii) क्रेडिट सिस्टम और मूल्यांकन संबन्धी सभी मामलों में तथ्यान्वेषण; To look into all the matters related to credit system and evaluation;

iii) परीक्षाओं के आयोजन, परिणामों की घोषणा, पुन: परीक्षा/पुन:मूल्यांकन का ओवरसीयिगं; To oversee examination with respect to its conduct, declaration of results, re-examination/re-evaluation;
iv) डॉक्टरल समितियों का गठन और वैध करना; To constitute and legitimize Doctoral Committees;
v) गुणता आश्वासन संबन्धी कार्यों को लिया जाना । To undertake quality assurance exercises.
vi) बोर्ड आफ स्टडीस और सेनेट द्वारा निदेशित किसी अन्य कार्य का निष्पादन। Perform such other functions as may be directed by the Boards of Studies and Senate.

ख) **विद्यार्थी मामलों का निदेशालय b) Directorate of Student Affairs**

विद्यार्थी मामलों का निदेशालय एसोसिएट निदेशक (विद्यार्थी मामला) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगा और इसमें क्लस्टर डीन और एसोसिएट डीन उसकी सहायता करेंगे। इस निदेशालय का कार्यसंचालन निम्नानुसार होगा: The Directorate of Student Affairs shall function under the direct supervision of the Associate Director (Student Affairs), who shall be assisted by the Cluster Deans and Associate Deans. The functions of this Directorate shall be as follows:

i) प्रवेश प्रक्रिया संबन्धी सभी पहलुओं पर निगरानी रखना तथा समय समय पर प्रवेश संबन्धी तरीकाओं को फ्रेम करना; To oversee all aspects of admission processes and frame admission modalities from time to time;
ii) विभिन्न पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के पंजीकरण प्रक्रिया संबन्धी तरीकाओं को फ्रेम करना और इनपर निगरानी रखना; To frame modalities and oversee student registration process for various courses of study;
iii) प्रवेश समिति का गठन करना To constitute the Admission Committee;
iv) सभी छात्र विवादों और शिकायतों में आदान प्रदान करना। To deal with all student disputes and grievances.
v) छात्रों, स्टाफ और शेयर धारकों से नियमित रूप में फीड बैक प्राप्त करना तथा इस संबन्ध में सुधार के लिए कार्रवाई करना। To obtain regular feedback from students, staff and stake holders and to take such action for improvements in respect thereof;
vi) विदेशी छात्रों की नीति को फ्रेम करने में तथा उसे कार्यान्वित करने से संबन्धित मामलों में नेट्वर्किंग और संसाधन निदेशालय को आवश्यक निविष्टियाँ प्रदान करना। To provide necessary inputs to Directorate of Networking and Resource in matters related to framing and implementation of overseas students policy;
vii) बोर्ड ऑफ स्टडीस और सेनेट द्वारा समय समय पर निर्देशित किसी भी अन्य कार्य का निष्पादन। Perform such other functions as may be directed by the Boards of Studies and Senate.

ग) **संसाधन विकास और नेटवर्क निदेशालय c) Directorate of Networking & Resource Development**

उद्योगों और योजना एवं विकास के नेटवर्किंग का निदेशालय एसोसिएट निदेशक (संसाध्न विकास और नेटवर्क) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगा तथा डीन और एसोसिएट डीन उनकी सहायता करेंगे। निदेशालय की गतिविधियाँ निम्नानुसार है: The Directorate of Networking with Industries and Planning & Development shall function under the direct supervision of the Associate Director (Resource Development & Networking), who shall be assisted by Deans and Associate Deans. The functions of the Directorate shall be as follows:

i) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अकादमी की संवृद्धि और विकास के लिए बृहत् योजना के कार्य को लिया जाना; To undertake comprehensive planning activity for growth and development of the Academy, both nationally and internationally;

ii) उद्योगों से संपर्क तथा उद्योगों, लोकोपकारी संगठनों और व्यक्तियों से धन के समाहरण के लिए रणनीति तैयार करना; To prepare strategy for industry interaction and fund raising from industries, philanthropic organization and individuals;

iii) स्पोण्सेर्ड चेयर, फेलोशिप आदि के लिए धन समाहरण तथा सरकारी और अन्य श्रोतों से परियोजना के लिए वित्त पोषण; Raising funds for sponsored chairs, fellowships etc., and project funding from Government and other sources;

iv) विद्यार्थी मामलों के निदेशालय के परामर्श से विदेशी छात्रों की नीति को फ्रेम करना और उनका कार्यान्वयन तथा इस संबन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों को जरी करना; To frame and implement overseas students policy in consultation with the Directorate of Student Affairs and issue guidelines in this respect;

v) अकादमी की शिक्षा एवं अनुसंधान गतिविधियों में अन्तर्राष्ट्रीय सहायोग को बढाना To foster international collaboration in education and research activities for the Academy;

vi) अकादमी के तहत विदेश में प्रशिक्षण के लिए फेलोशिप और स्कोलर्शिप की स्थापना। To institute overseas training fellowships and scholarships under the Academy;

vii) अकामदी के कार्यक्षेत्र से संबन्धित अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य के लिए इंपाक्ट दस्तावेज, रणनीति के कागज़ात और स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन; To publish regular impact documents, strategy papers and status reports for international scenarios relevant to the areas of work of the Academy.

viii) नवीकृत कार्यनीति, अवधारणा, प्रक्रिया और विधियों के विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से अकादमी की गतिविधियों में नवीन्ता का संवर्धन, पोषण और संभालना; To promote, nurture and sustain innovation in the activities of the Academy through development and implementation of innovation strategy, concepts, processes and methods;

ix) अकादमी के संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों और अन्य सहयोगियों के बीच तकनीकी और वैज्ञानिक उदयमिता की सुविधा प्रदान करना।; To facilitate technological and academic entrepreneurship amongst faculty, students and other associates of the Academy;

x) शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों के अन्य शेयर धारकों/संगठनों के सहयोग से अकादमी में उपयुक्त इकोसिस्टम के अवरोहक्रमिक नवोन्मेषण की संस्कृति को विकसित करना। To inculcate culture of inverted innovation and nurture

appropriate ecosystem in the Academy in association with other stakeholders/players of academia and R&D sector;

xi) संसाधन विकास और नेटवर्क निदेशालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सभी प्रकार के सबन्धों की योजना, प्रबन्धन और निष्पादन किया जाएगा। To catalyze application of innovative processes and technologies to the social sector;

xii) बोर्ड ऑफ स्टडीस और सेनेट द्वारा निदेशित किसी अन्य कार्य का निष्पादन। To identify new and unique revenue generation mechanisms

xiii) ऐसे अन्य कार्य जो बोर्ड ऑफ स्टडीज और सीनेट द्वारा निर्देशित किया जा सकता Perform such other functions as may be directed by the Boards of Studies and Senate. .

घ) **आइसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई-लेणिंग और दूरस्थ शिक्षा का निदेशालय d) Directorate of ICT Infrastructure, e-Learning and Distance Education**

यह निदेशालय कण्सोर्सियम द्वारा नेतृत्व तथा एसोसिएट निदेशक (संस्थानिक मामले और आइसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्यरत होगा। इस निदेशालय की कार्यविधियाँ निम्नानुसार है: The Directorate shall be consortium-led and shall function under the direct supervision of the Associate Director (Institute Affairs and ICT Infrastructure). The functions of the Directorate shall be as follows:

i) अकादमी की ई-लेणिंग और दूरस्थ शिक्षा की नीति को फ्रेम करना; To frame E-learning and distance education policy for the Academy;

ii) विषयवस्तु के विकास का कार्य; To undertake content development;

iii) विषय-सामग्री के वितरण के लिए एक उपयुक्त प्लाटफार्म विकसित करने का कार्य; To undertake and evolve a suitable content delivery platform;

iv) प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना; To assure the quality of courses being offered;

v) दूरस्थ कार्यक्रम के अधीन छात्रों के प्रवेश के लिए नियमावली तैयार करना तथा विद्यार्थी मामले के निदेशालय को ये नियमावली जारी करना; To frame guidelines for students to be enrolled under distance programs and issue such guidelines to the Directorate of Student Affairs;

vi) दूरस्थ शिक्षा परिषद से संपर्क करने और समन्वयन का कार्य; To liaise and coordinate with the Distance Education Council;

vii) अकादमी के कार्पोरेट संचार इकाई के रूप में सेवा करना; To serve as the Corporate Communications Unit of the Academy;

viii) अकादमी की आईसीटी नीति को फ्रेम करना; To frame the ICT policy for the Academy;

ix) आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभिरक्षक होना; To be the custodian of the ICT infrastructure;

x) अकादमी के मुख्यपृष्ठ/वेब्साइट, डाटाबेस आदि का अनुरक्षण; To maintain the Academy homepage/website, databases etc.;

xi) बोर्ड ऑफ स्टडीस और सेनेट द्वारा निदेशित किसी अन्य कार्य का निष्पादन। Perform such other functions as may be directed by the Board of Studies and the Senate.

xii) Perform such other functions as may be directed by the Boards of Studies and Senate.

ङ) **प्रशासन और वित्तीय समर्थन का निदेशालय e) Directorate of Administration and Financial Support**

प्रशासन और वित्तीय समर्थन का निदेशालय एसोसिएट निदेशक (प्रशासन और वित्त) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण मे कार्यरत होगा तथा इसमें डीन, एसोसिएट डीन और वित्त समिति उनकी सहायकता करेंगे। इस निदेशालय की कार्यविधियाँ निम्नानुसार है: The Directorate of Administration and Financial Support shall function under the direct supervision of the Associate Director (Administration and Finance), who shall be assisted by Deans, Associate Deans and the Finance Committee. The functions of the Directorate shall be as follows:

i) सभी चार निदेशालयों को प्रशासनिक, कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करना; To provide all the Administrative, legal and Financial support to all the four Directorate

ii) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षण और अनुसंधान केन्द्रों के साथ अकादमी के समझौता ज्ञापनों से संबन्धित गातिविधियों का समन्वयन करना; To coordinate the activities related to the Academy's MoUs with national and international centers of learning and research;

iii) अकादमी के लिए वार्षिक बजट तैयार करना; To prepare the annual budget for the Academy;

iv) अकादमी के राजस्व जनन और बजट के आधार पर खर्चा का मोणीटरन; To monitor the expenditure as per the revenue generation and budget of the Academy;

v) बोर्ड ऑफ स्टडीस और सेनेट द्वारा निदेशित किसी अन्य कार्य का निष्पादन। Perform such other functions as may be directed by the Boards of Studies and Senate.

विधि STATUTE 9

बोर्ड ऑफ स्टडीस BOARD OF STUDIES

9.1 बोर्ड ऑफ स्टडीस Board of Studies

अकादमी के शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन में बोर्ड ऑफ स्टडीस सेनेट की सहायता करेगा। शासी निकाय के अनुसमर्थन के शर्त पर, सेनेट को बोर्ड ऑफ स्टडीस के गठन या उसको विद्यटित करने की शक्ति है। शुरूआत में, निम्नानुसार तीन बोर्ड ऑफ स्टडीस हैं: The Senate shall be assisted by the Boards of Studies for operating the academic programs of the Academy. The Senate shall have the power to create or do away with such Boards of studies, subject to ratification of the Board. Initially there shall be three Boards of Studies as follows:

- क) जीवविज्ञान और रसायन विज्ञान के बोर्ड ऑफ स्टडीस a) Board of Studies for Biological and Chemical Sciences
- ख) इंजीनियरिंग और भौतिकी विज्ञान के बोर्ड ऑफ स्टडीस b) Board of Studies for Engineering and Physical Sciences
- ग) मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और प्रबन्धन सहित सूचना विज्ञान क्लस्टर के बोर्ड ऑफ स्टडीस। c) Board of Studies for Information Science Cluster including Humanities, Social Science, Law and Management

इसके अलावा, इन तीनों बोर्ड के बाहर के अन्तर्विषयीन और ट्रान्स-विषयीन कार्यक्रम, जैसे नैनो-बयो-आइटी कार्यक्रम सेनेट के क्षेत्राधिकार में होगा। In addition, interdisciplinary and trans-disciplinary programmes across the three Board of Studies, e.g., Nano-Bio-IT programs, shall be under the purview of the Senate.

अकादमी के शैक्षणिक कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के शर्त पर शासी निकाय के अनुसमर्थन से सेनेट अन्य बोर्ड ऑफ स्टडीस का गठन कर सकता है । Subject to the requirements of academic programs of the Academy, the Senate, with due ratification of the Board, might constitute other Boards of Studies.

बोर्ड ऑफ स्टडीस के सदस्यों को एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक) के परामर्श से सेनेट के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा जिसका सेनेट द्वारा अनुसमर्थन किया जाएगा। The members of the Boards of Studies shall be nominated by the Chairperson of the Senate in consultation with the Associate Director (Academic) and ratified by the Senate.

9.2 बोर्ड ऑफ स्टडीस का गठन, उसके कार्य और उसकी शक्तियाँ Constitution, Functions and Powers of the Boards of Studies

बोर्ड ऑफ स्टडीस का गठन निम्नानुसार किया जाएगा : The composition of the Boards of Studies shall be as follows:

i) **जैविक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान क्लस्टर के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीस The Board of Studies for Biological and Chemical Sciences Cluster**

- क) एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक) इसके अध्यक्ष होंगे। a) Associate Director (Academic) shall be the Chairman
- ख) जैविक और रासायनिक विज्ञान क्लस्टर के दो डीन होंगे। इनमें से एक डीन भविष्य के बैठकों के लिए राटेशन के आधार पर सह-अध्यक्ष होंगे। b) Two Deans of the Biological and Chemical Sciences Cluster. One of the Deans shall be the Co-Chairperson on rotation basis, for each successive meetings.

ग) दो क्लस्टरों का प्रतिनिधित्व करते हुए सेनेट के दो सदस्य। c) Two members from the Senate, representing two clusters.

घ) शासी निकाय या सेनेट में नामितों के अलावा प्रत्येक क्लस्टर से दो वैज्ञानिक। d) Two scientists, one from each cluster other than those nominated in the Board or the Senate.

ङ) दो बाहरी विशेषज्ञ; शासी निकाय या सेनेट में नामितों के अलावा संबन्धित क्लस्टर प्रयोगशालाओं या उद्‌योगों के अनुसंधान परिषद के सदस्य वाँचनीय है। e) Two external experts, preferably members of the Research Council of the corresponding cluster laboratories or Industries, other than those nominated in the Board or the Senate.

च) संबन्धित क्लस्टरों के एक एसोसिएट डीन बोर्ड ऑफ स्टडीस के सदस्य सचिव होंगे। f) One of the Associate Deans of the corresponding clusters shall be the Member Secretary to the Board of Study.

ii) **अभियाँत्रिकी और भौतिक विज्ञान क्लस्टर के बोर्ड ऑफ स्टडीस The Board of Studies in Engineering and Physical Sciences Cluster**

क) एसोसिएट निदेशक (अकादमिक) इसके अध्यक्ष होंगे। a) Associate Director (Academic) shall be the Chairman

ख) अभियाँत्रिकी और भौतिक विज्ञान के दो डीन होंगे। इनमें से एक डीन रोटेशन आधार पर भविष्य के प्रत्येक बैठक के लिए उपाध्यक्ष होंगे। b) Two Deans of Engineering and Physical Sciences. One of the Deans shall be the Co-Chairperson on rotation basis, for each successive meetings.

ग) सेनेट से अभियाँत्रिकी और भौतिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के दो सदस्य। c) Two members from the Senate from Engineering and Physical Sciences laboratories.

घ) अभियाँत्रिकी और भौतिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से, शासी निकाय और सेनेट में नामित सदस्यों को छोडकर, दो वैज्ञानिक। d) Two scientists from Engineering and Physical Sciences laboratories, other than those nominated in the Board or the Senate.

ङ) दो बाहरी विशेषज्ञ; शासी निकाय या सेनेट में नामितों के अलावा संबन्धित क्लस्टर प्रयोगशालाओं या उद्‌योगों के अनुसंधान परिषद के सदस्य वाँचनीय है । e)Two external experts, preferably members of the Research Council of the corresponding cluster laboratories or industries, other than those nominated in the Board or the Senate.

च) संबन्धित क्लस्टरों के एक असोसिएट डीन बोर्ड ऑफ स्टडीस के सदस्य सचिव होंगे। f) One of the Associate Deans of the corresponding clusters shall be the Member Secretary to the Board of Study

iii) **कानून, मानविकी प्रबन्धन विज्ञान के अन्तर्विषयीन अध्ययन सहित सूचना विज्ञान क्लस्टर के बोर्ड ऑफ स्टडीस The Board of Studies for Information Science Cluster including Interdisciplinary Studies for Law, Humanities Management Science**

क) एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक) इसके अध्यक्ष होंगे। a) Associate Director (Academic) shall be the Chairman

ख) सूचना विज्ञान क्लस्टर का डीन इसके सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। b) The Dean of information Sciences Cluster to act as the Co-Chairman

ग) संबन्धित अध्ययन क्षेत्र से सेनेट के दो सदस्य । c) Two members from the Senate from corresponding areas of study

घ) क्लस्टर प्रयोगशालाओं या प्रभागों से दो वैज्ञानिक, जो शासी निकाय या सेनेट के लिए नामित न हो। d) Two scientists from the cluster laboratories or divisions other than those nominated in the Board or the Senate.

ङ) दो बाहरी विशेषज्ञ; संबन्धित क्लस्टर प्रयोगशालाओं या उद्योगों के अनुसंधान परिषद के सदस्य वाँचनीय है, और ये शासी निकाय या सेनेट के लिए नामित न हो। e) Two external experts, preferably members of the Research Council of the corresponding cluster laboratories or Industries, other than those nominated in the Board or the Senate.

च) संबन्धित क्लस्टर के एसोसिएट डीन बोर्ड ऑफ स्टडीस के सदस्य सचिव होंगे। f) Associate Dean of the corresponding cluster shall be the Member Secretary to the Board of Study.

9.3 बोर्ड ऑफ स्टडीस की शक्तियाँ और कार्य Powers and Functions of the Board of Studies

बोर्ड ऑफ स्टडीस की शक्तियाँ और उनके कार्य निम्नानुसार है: The Boards of Studies shall have the following powers and functions:

क) पाठ्यक्रम और उसके विषय तैयार करने त्था उसको लागू करने के संबन्ध में सेर्नट को सिफारिश देना। a) To recommend to the Senate the courses of studies and curriculum to be introduced and followed;

ख) अकादमी में, अध्यादेश के प्रावधान के अधीन, प्रोफेसर और अन्य सहायक संकाय पदों के सृजन और कार्यान्वयन के संबन्ध में सेनेट को सिफारिश देना। b) To recommend to the Senate on the creation and institution of professorships and other Adjunct faculty positions in the Academy; subject to provisions in this regard in the Ordinances.

ग) अकादमी के अधीन नए लेर्णिंग और लेर्णिंग अऊटरीच सेंटर्स को शामिल करने और उनकी स्थापना के संबन्ध में सिफारिश देना। c) To make recommendations on inclusion and establishment of new Learning Centers and Learning Outreach Centers under the Academy;

घ) अनुसंधान, अध्ययन, पाठ्यक्रम विकास आदि को बढावा देने के लिए विशेष समिति और कार्यदलों का गठन। d) To set up special committees and task forces for promotion of research, teaching, curriculum development, etc.;

ङ) अंतर अनुशासनान्मक और ट्रान्स-अनुशासनात्मक क्षेत्रों में विशेष प्रकार के भारत और विदेश में स्थित अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ संसाधन को परस्पर बाँटने के प्रोटोकोल तैयार करने के संबन्ध में सेनेट को प्रस्ताव देने का कार्य। परीक्षाओं के आयोजन और उपाधियाँ प्रदान करने के कार्य का पर्यवेक्षण। e) To make proposals to the Senate regarding provisions to be made for enabling the Academy to undertake specialized study programs in inter-disciplinary and trans-disciplinary areas and to evolve mutual resource-sharing protocols with other institutions of higher learning and Universities in India and abroad;

च) अकादमी द्वारा दिए जा रहे शिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता आश्वासन का पर्यवेक्षण। f) To supervise conduct of examinations and award of degrees;

छ) अकादमी द्वारा चालए जा रहे पठ्यक्रमों की गुण्वत्ता सुनिश्चि करने का पर्यवेक्षण g) To supervise quality assurance in the teaching programs being offered by the Academy;

ज) अकादमी के जनादेश को बढावा देने की आवश्यकता है तो, सेनेट द्वारा अनुमोदन और शासी निकाय द्वारा अनुसमर्थन के शर्त पर तथा इस संबन्ध में अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन, अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए संविदात्मक और अन्य असाधारण तैनाती/पारिश्रमिक देने का कार्य। h) To make contractual and other extraordinary engagements/ retainership as may be required for furtherance of the mandate of the Academy subject to approval of the Senate and ratification by the Board for a period not exceeding one year and subject to provisions in this regard in the Ordinances;

झ) शोध के मूल्याँकन के लिए परीक्षकों के नाम, इस संबन्ध में उन्नत अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए गठित समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, सेनेट को सिफारिश करना। i) To recommend to the Senate the names of examiners for the evaluation of theses after considering proposals received from the Committee for Advanced Studies and Research in that regard;

ञ) सत्रवार कार्य के मूल्याँकन के लिए सामान्य नियमों को तैयार करना। j) To frame general rules for the evaluation of sessional work;

ट) सेनेट की सिफारिश पर उन उम्मीदवारों को अनुसंधान उपाधियॉ देने के लिए अनुमोदन प्रदान करना जिनको अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार ऐसी उपाधियाँ प्राप्त करने के लिए फिट घोषित किया गया हो। k) To approve, on the recommendation of the Senate, the award of research degrees to candidates who have been adjudged to be fit to receive such degrees, in accordance with the Ordinances;

ठ) शिक्षण और अनुसंधान के मानकों में सुधार के लिए योजनाओं पर विचार करना तथा ऐसी योजनाएँ सेनेट के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना। l) To consider schemes for the improvement of the standards of teaching and research, and to submit such proposals to the Senate for approval;

ड) अकादमी की सामान्य समय-सारणी तैयार करना। m) To frame the general time-table of the Academy;

ढ) अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किसी भी अन्य कार्य का निष्पादन तथा एसे सभी मामलों पर विचार करना जो उनके लिए संदर्भित हो। n) To perform all other functions which may be prescribed in the Ordinances, and to consider all such matters as may be referred to it;

ण) डीन या बोर्ड ऑफ स्टडीस के किसी अन्य सदस्य या किसी समिति को ऐसी सामान्य या विशिष्ट शक्तियाँ डेलिगेट करना जिसके बारे में बोर्ड ऑफ स्टडीस द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाएगा। o)To delegate to the Dean or any other member of the Board of Studies or to a Committee such general or specific powers as may be decided upon by the Board of Studies from time to time.

9.4 बोर्ड ऑफ स्टडीस की बैठकें Meetings of the Boards of Studies

i) प्रत्येक बोर्ड ऑफ स्टडीस की बैठकें या तो साधारण या विशेष होगी। साधारण बैठकें सामान्यत: वर्ष में दो बार एसोसिएट निदेशक(शैक्षणिक) और संबन्धित डीन द्वारा आयोजित की जाएंगी। Meetings of each of the Boards of Studies shall either be ordinary or special. Ordinary meetings shall be held at generally twice in a year by the Associate Director (Academic) and the concerned Dean

ii) विशेष बैठकें एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक)/संबन्धित डीन द्वारा अपनी पहल पर या कुलाधिपति के सुझाव पर या बोर्ड ऑफ स्टडीस के कम-से-कम एक-पाँचवें सदस्यों के लिखित अनुरोध पर आयोजित की जाएगी। Special meetings may be called by the

Associate Director (Academic)/ concerned Dean/ at his own initiative or shall be called at the suggestion of the Chancellor or on a written request from at least one-fifth of the members of the Board of Studies.

iii) संबंधित विषय के डीन को थीसिस समीक्षकों को अनुमोदित करने, विषय, शीर्षक या गाइड के परिवर्तन या किसी अन्य कार्य पर निर्णय लेने की शक्ति दी जा सकती है जिन्हें बोर्ड ऑफ स्टडीस द्वारा अनुसमर्थन किया जा सकता है। Dean of the respective subject may be given the power to take decisions in such cases as approval of thesis reviewers/change of subject, title or guide or other such activities which can then be ratified in the Board of Studies.

iv) बैठक का आयोजन सदस्यों की भौतिक उपस्थिति में या स्कैप, वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग, टेलीकोन्फ्रेन्सिंग आदि सुरक्षित संचार माध्यमों के उपयोग से किया जा सकता है। The meeting can be held in physical presence or using various secure communication modes such as Skype, video conferencing, teleconference, etc.

9.5 बोर्ड ऑफ स्टडीस का विघटन Dissolution of the Boards of Studies

बोर्ड ऑफ स्टडीस की अवधि आम तौर पर तीन वर्ष की होगी और इस अवधि की समाप्ति के बाद उसका पनर्गठन किया जाएगा। तथापि, शासी निकाय को सेनेट की सिफारिश पर इस को विघटित करने की शक्ति है: बशर्ते एसे विघटित करने का प्रस्ताव सेनेट की बैठक में साधारण बहुमत से प्रस्तुत और पारित किया जाता है। A given Board of Study shall ordinarily have a term of three years and shall be reconstituted after completion of such period. The Board, however, shall have the power to dissolve one or all of the Boards of Studies on recommendation of the Senate, provided a motion of such dissolution is moved before a Senate meeting and is passed by simple majority in the meeting.

9.6 बैठक का नोटिस Notice of Meeting

बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक बुलाने का नोटिस, विशेष बैठक को छोडकर, साधारणत: बैठक के लिए निर्धारित दिन से कम से कम सात कार्य दिवसों के पहले जारी किया जाएगा। एक विशेष बैठक आम तौर पर कम से कम पाँच दिन की सूचना के साथ तय किया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत में घटनाओं का एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा और आम तौर पर इसका पालन किया जाएगा। Notice for a meeting of the Board of Studies, other than for a special meeting, shall ordinarily be issued at least 7 days before the day fixed for the meeting. A special meeting shall ordinarily be fixed with at least 5 days' notice. A calendar of events will be prepared at the beginning of the academic year and shall be generally adhered to.

9.7 बैठक संचालन के नियम Rules of conduct of the meeting

बोर्ड ऑफ स्टडीस की प्रत्येक बैठक के संचालन की प्रक्रियाओं का फैसला उसी बैठक के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। कोरस के लिए बैठक में दो डीन या एसोसिएट डीन सहित कम से कम एक तिहाई सदस्यों की भौतिक उपस्थिति या इलेक्ट्रोणिक माध्यम द्वारा उनकी भागीदारी अनिवार्य है। तथापि, सूचना विज्ञान क्लस्टर के बोर्ड ऑफ स्टडीस की बैठक में कोरम के लिए डीन या एसोसिएट डीन की उपस्थिति अनिवार्य है । Procedures for conduct of each meeting of the Board of Studies shall be decided by the Chairperson for that meeting. Participation of at least one third of the members including two Deans or Associate Deans either by physical presence or through electronic media are mandatory to form the quorum. However, for the Board of Studies for Information Science Cluster, presence of either Dean or Associate Dean shall be mandatory to form the quorum.

विधि STATUTE 10

वित्त समिति THE FINANCE COMMITTEE

10.1 वित्त समिति The Finance Committee

सभी वित्तीय मामलों के संबन्ध में विचार करने और सेनेट को सिफारिश देने के लिए एक वित्त समिति का गठन किया जाएगा। A Finance Committee shall be constituted to consider and make recommendation to the Senate in respect of all financial matters.

10.2 वित्त समिति का गठन Constitution of the Finance Committee

वित्त समिति, निम्नलिखित सदस्यों से बनेगी: The Finance Committee shall consist of the following members:

क**)** अकादमी के निदेशक समिति का अध्यक्ष होगा।
a) The Director of the Academy, who shall be the Chairperson of the Committee;
ख**)** प्रशासन एवं वित्त के एसोसिएट निदेशक।
b) The Associate Director of Administration & Finance;
ग**)** संसाधन विकास एवं नेटवर्क के एसोसिएट निदेशक।
c) Associate Director Resource Development and Network
घ**)** अध्यक्ष द्वारा मनोनीत वित्तीय विशेषज्ञ।
d) Financial expert nominated by the Chairperson;
ङ**)** सेनेट के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सेनेट के एक सदस्य ।
e) One member of the Senate nominated by Chairperson of the Senate;
च**)** रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार वित्त समिति के सचिव होंगे।
f) The Registrar/ Assistant Registrar shall be the Secretary to the Finance Committee.

10.3 वित्त समिति के कार्य और शक्तियाँ Functions and Powers of the Finance Committee

वित्त समिति के निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे:**-** The Finance Committee shall have the following powers and duties:

क**)** यह अकादमी के आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय योजनाएं और बजट तैयार करेगी। a) It shall formulate the financial plans and prepare the budget of the Academy for the forthcoming financial year;

ख**)** अनुदान और धन की माँग सबन्धी प्रस्तावों पर शासी निकाय को सिफारिश देगी जिसे शासी निकाय में प्रस्तुत करने से पहले वित्त समिति में विचार-विमर्श के लिए रख दिया जाएगा। b) It shall make recommendations to the Board on all proposals of demands for grants and monies, which shall stand referred to the Finance Committee for deliberation prior to placing the same before the Board;

ग**)** यह अकादमी के वित्तीय निहितार्थ वाले किसी भी पहल पर सलाह और सिफारिश देगी। c) It shall advise and recommend on any particular initiative of the Academy that has financial implication

घ**)** यह अकादमी की लेखा अलग से पूरे विस्तार के साथ समुचित रूप में अनुरक्षण करेगी तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः महीनों के अन्तर्गत उसकी लेखा परीक्षा

की व्यवस्था करेगी। d) It shall maintain proper and separate accounts of the Academy in full detail and get them audited within six months of the end of each financial year.

ङ**)** शासी निकाय और सेनेट द्वारा निदेशित किसी अन्य वित्तीय कार्य का निष्पादन । e) Perform such other financial functions as may be directed by the Board and the Senate.

10.4. वित्त समिति के नामित सदस्यों की अवधि Terms of nominated members of the Finance Committee

वित्त समिति के नामित सदस्यों की अवधि उनके नामांकन के समय पर विनिर्दिष्ट अवधि अथवा इनके स्थान पर नए नामंकन किए जाने तक, जो भी पहले हो, होगी। The nominated members of the Finance Committee shall be its members for the period specified at the time of nomination or till a fresh nomination is made, whichever is earlier.

10.5 वित्त समिति की बैठक के लिए कोरम Quorum for meetings of the Finance Committee

वित्त समिति की बैठक हेतु कोरम के लिए कम से कम तीन सदस्यों की भौतिक उपस्थिति या इलेक्ट्रोणिकी माध्यम से उनकी भागीदारी आवश्यक है। तथापि, बैठक में एक वित्तीय विशेषज्ञ की भागीदारी अनिवार्य है। Participation of at least three members either by physical presence or through electronic media shall form the quorum for the meetings of the Finance Committee. However, participation of a financial expert is mandatory.

विधि STATUTE 11

अनुसंधान संस्थान/केंद्र/इकाइयाँ RESEARCH INSTITUTES/CENTRES/UNITS

भारत में स्थित निम्नलिखित सीएसआईआर संस्थानों/प्रयोगशालाओं/केन्द्रों/इकाइयों तथा इनके घटक इकाइयों को अकादमी की अनुसंधान संस्थानों/इकाइयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है। एसीएसआईआर और सीएसआईआर के बीच के समझौता ज्ञापन के अनुसार सीएसआइआर प्रयोगशालाओं/इकाइयों के संसाधन और बुनियादी सुविधाएँ अकादमी के लिए उपलब्ध हैं। The following CSIR Institutes/laboratories/Centres/Units in the Country and its constituent units are identified as the Research Institutes/Units of the Academy. The resources and infrastructure of the CSIR laboratories/units are available to the Academy as per the Memorandum of Understanding between AcSIR and CSIR.

संस्थान Institutes	सीएसआईआर प्रयोगशाला/केन्द्र/यूनिट का नाम Name of the CSIR Laboratory/Centres/Units	http://www.
सीएसआईआर-एएमपीआरआई CSIR-AMPRI	प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान, भोपाल Advanced Materials and Processes Research institute, Bhopal	ampri.res.in
सीएसआईआर-सीबीआरआई CSIR-CBRI	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की Central Building Research Institute, Roorkee	cbri.org.in
सीएसआईआर-सीसीएमबी CSIR-CCMB	कोशिकीय और अणुजीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद Centre for Cellular & Molecular Biology, Hyderabad	ccmb.res.in
सीएसआईआर-सीडीआरआई CSIR-CDRI	केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ Central Drug Research Institute, Lucknow	cdriindia.org
सीएसआईआर-सीईसीआरआई CSIR-CECRI	केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, कारैकुडी Central Electrochemical Research Institute, Karaikudi	cecri.res.in
सीएसआईआर-सीईईआरआई CSIR-CEERI	केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani	ceeri.res.in
सीएसआईआर-सीएफटीआरआई CSIR-CFTRI	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर Central Food Technological Research Institute, Mysore	cftri.com
सीएसआईआर-सीजीसीआरआई CSIR-CGCRI	केन्द्रीय काँच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता Central Glass & Ceramic Research Institute, Kolkata	cgcri.res.in
सीएसआईआर-सीआईएमएपी CSIR-CIMAP	केन्द्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ Central Institute of Medicinal & Aromatic Plants, Lucknow	cimap.res.in
सीएसआईआर-सीआईएमएफआर CSIR-CIMFR	केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद Central Institute of Mining and Fuel Research, Dhanbad	cimfr.nic.in
सीएसआईआर-सीएलआरआई CSIR-CLRI	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चेन्नै Central Leather Research Institute, Chennai	clri.nic.in
सीएसआईआर-सीएमईआरआई CSIR-CMERI	केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur	cmeri.res.in
सीएसआईआर-4पीआई CSIR-4PI	सीएसआईआर चौथे प्रतिमान संस्थान, बंगलौर (formerly, सी.एस.आई.आर गणितीय प्रतिरूपण एवं कम्प्यूटर अनुकरण केन्द्र) CSIR Fourth Paradigm Institute, Bangalore (formerly, CSIR-Centre for Mathematical Modelling& Computer Simulation)	cmmacs.ernet.in
सीएसआईआर-सीआरआरआई CSIR-CRRI	केन्द्रीय सडक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली Central Road Research Institute, New Delhi	crridom.gov.in
सीएसआईआर-सीएसआईओ CSIR-CSIO	केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ Central Scientific Instruments Organisation, Chandigarh	csio.res.in
सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई CSIR-CSMCRI	केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर Central Salt & Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar	csmcri.org
सीएसआईआर-आईजीआईबी CSIR-IGIB	जीनामिकी और समवेत जीवविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली Institute of Genomics and Integrative Biology, New Delhi	igib.res.in
सीएसआईआर-आईएचबीटी CSIR-IHBT	हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर Institute of Himalayan Bioresource Technology, Palampur	ihbt.res.in
सीएसआईआर-आईआईसीबी CSIR-IICB	भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata	iicb.res.in
सीएसआईआर-आईआईसीटी CSIR-IICT	भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad	iictindia.org
सीएसआईआर-आईआईआईएम CSIR-IIIM	भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू Indian Institute of Integrative Medicine, Jammu	iiim.res.in
सीएसआईआर-आईआईपी CSIR-IIP	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून Indian Institute of Petroleum, Dehradun	iip.res.in
सीएसआईआर-आईआईटीआर CSIR-IITR	भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow	itrcindia.org
सीएसआईआर-आईएमएमटी CSIR-IMMT	खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर Institute of Minerals and Materials Technology, Bhubaneswar	immt.res.in
सीएसआईआर-आईएमटी CSIR-IMT	सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ Institute of Microbial Technology, Chandigarh	imtech.res.in
सीएसआईआर-एनएएल CSIR-NAL	राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालायें, बंगलौर National Aerospace Laboratories, Bangalore	nal.res.in
सीएसआईआर-एनबीआरआई	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	nbri.res.in

CSIR-NBRI	National Botanical Research Institute, Lucknow	
सीएसआईआर-एनसीएल CSIR-NCL	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे National Chemical Laboratory, Pune	ncl-india.org
सीएसआईआर-एनईईआरआई CSIR-NEERI	राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur	neeri.res.in
सीएसआईआर-एनईआईएसटी CSIR-NEIST	उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट North East Institute of Science & Technology, Jorhat	neist.res.in
सीएसआईआर-एनजीआरआई CSIR-NGRI	राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद National Geophysical Research Institute, Hyderabad	ngri.org.in
सीएसआईआर-एनआईआईएसटी CSIR-NIIST	राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम National Institute for Interdisciplinary Science and Technology, Thiruvananthapuram	niist.res.in
सीएसआईआर-एनआईआईएसटी CSIR-NIO	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा National Institute of Oceanography, Goa	nio.org
सीएसआईआर-एनआईएससीएआईआर CSIR-NISCAIR	राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्त्रोत संस्थान, नई दिल्ली National Institute of Science Communication and Information Research, New Delhi	niscair.res.in
सीएसआईआर-एनआईएसटीएडीएस CSIR-NISTADS	राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली National Institute of Science, Technology and Development Studies, New Delhi	nistads.res.in
सीएसआईआर-एनएमएल CSIR-NML	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur	nmlindia.org
सीएसआईआर-एनपीएल CSIR-NPL	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली National Physical Laboratory, New Delhi	nplindia.org
सीएसआईआर-एसईआरसी CSIR-SERC	संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र, चेन्नै Structural Engineering Research Centre, Chennai	serc.res.in
सीएसआईआर-यूआरडीआईपी CSIR-URDIP	सूचना उत्पाद अनुसंधान एवं विकास यूनिट, पुणे Unit for Research & Development of Information Products, Pune	urdip.res.in
सीएसआईआर-एचक्यू CSIR-HQ	सीएसआईआर मुख्यालय और इसकी अन्य इकाइयां CSIR Headquarters and its other units	csir.res.in
सीएसआईआर-एचआरडीसी CSIR-HRDC	मानव संसाधन विकास केन्द्र Human Resource Development Centre	csirhrdc.res.in
सीएसआईआर-ओएसडीडी CSIR-OSDD	खुला स्रोत ड्रग डिस्कवरी Open Source Drug Discovery	osdd.net
सीएसआईआर-टीकेडीएल इकाई CSIR-TKDL Unit	पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी Traditional Knowledge Digital Library	tkdl.res.in
सीएसआईआर-टीआरआईएसयूटीआरए इकाई CSIR-TRISUTRA Unit	आयुर जीनोमिकी इकाई Translational Research and Innovative Science ThRough Ayurveda - TRISUTRA	trisutra.in

नोट: यदि एक सीएसआईआर प्रयोगशाला या इकाई भविष्य में बनाई जाती है तो यह एक अनुसंधान संस्थान के रूप में शामिल किया गया समझा जाएगा और सीएसआईआर के शासी निकाय द्वारा किन्ही प्रयोगशालाओं को मेंर्ज या बद करने की स्थिति में तत्सबन्धी प्रयोगशाला अकादमी के अनुसंधान संस्थान/केन्द्र/ इकाई के रूप में बंद समझी जाएगी। Note: If a CSIR lab or Unit is created in future, it shall be deemed to be included as a Research Institute and in case any lab(s) are merged or closed by the CSIR Governing Body, then the corresponding labs will cease to be Research Institutes/Centres/Units of the Academy.

विधि STATUTE 12

शैक्षणिक संकाय के पदों की स्थिति और शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति
ACADEMY FACULTY POSITIONS& APPOINTMENT OF ACADEMIC STAFF

12.1 सीएसआईआर प्रयोगशालाओं और इसके घटक इकाइयों में चयनित वैज्ञानिकों को अकादमी के संकाय सदस्य और सीएसआईआर के वैज्ञानिक की दोहरी भूमिका निभानी है। सीएसआईआर द्वारा विभिन्न ग्रेड के अपने वैज्ञानिकों के लिए निर्धारित मापदड के अनुसार उनको संकाय सदस्य का पदनाम दिया जाएगा। चयन सेनेट द्वारा अनुमोदित संकाय-नियमावली पर आधारित होगा। प्रख्यात वैज्ञानिकों और एमेरिटस वैज्ञानिकों सहित सीएसआईआर के वैज्ञानिकों से चयनित संकाय सदस्यों की सूचि सीएसआईआर के महानिदेशक अनुसमर्थित करेंगे तथा इसे अनुमोदन के लिए सेनेट में और तदुपरान्त सूचना के लिए शासी निकाय में प्रस्तुत की जाएगी। सीएसआईआर से चयनित संकाय सदस्यों की सूचि में किसी प्रकार का परिवर्तन सीएसआईआर के महानिदेशक बाद में कर सकता है। सभी पद मानद हैं और ये पद सीएसआईआर के पदों से उनकी आधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हो जाता है। तथापि, शासी निकाय के अनुमोदन के अधीन, अधिवर्षिता के बाद भी विशिष्ट अवकाश प्राप्त प्रोफेसर या प्रोफेसर ऑफ एमिनेन्स या प्रायोजित चेयर/प्रोफेसरशिप के रूप में उनके पदनाम के आधार पर पारिश्रमिक देकर उनकी सेवाएं ली जा सकती है। The Scientists of the CSIR Laboratories and its constituent units selected for the purpose shall have the dual role of being Faculty of the Academy and Scientists of CSIR. They shall bear the designations of the faculty as per the criteria decided by CSIR for its scientists of different grades. The DG, CSIR shall ratify the list of faculty members drawn from among the Scientists of CSIR, including eminent scientists and emeritus scientists and have the list placed before the Senate for its approval and subsequently to the Board for its information. DG, CSIR may make any subsequent change to the list of faculty of the Academy drawn from CSIR. All the positions are honorary in nature and are co-terminous with their superannuation/retirement from their CSIR positions. However, their services could be availed beyond superannuation as Distinguished Emeritus Professor or Professor of Eminence or as a Sponsored Chair Professorship with remuneration commensurate to the positions subject to the approval of the Board.

खंड 8 (1) (ix) में उल्लेख है कि "अकादमी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रोफेसरशिप, एसोसिएट प्रोफेसरशिप और सहायक प्रोफेसरशिप के पदों का सृजन करेंगी जिसमें अकादमी प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ एमिनेन्स, विशिष्ट प्रोफेसर, उत्कृष्ट प्रोफेसर, वरिष्ठ प्रोफेसर, एमेरिटस प्रोफेसर, विसिर्टिंग पोसिशन या शैक्षणिक या अन्य पद शामिल हैं और इनकेलिए नियुक्ति करेगी।" Clause 8 (1) (ix) of the Acthighlights that the "Academy shall have Institute Professorships, Associate Professorships and Assistant Professorships including Academy Professors, Professors of Eminence, Distinguished Professor, Outstanding Professor, Senior Professor, Emeritus Professors, Professor, or visiting positions and other teaching or academic or other positions, required by the Academy and make appointments to such positions"

सीएसआईआर वैज्ञानिकों के मूल्यांकन और भर्ती एक निरंतर प्रक्रिया होने के कारण सेनेट को भी इनकी सूचि समय समय पर अद्यतन करने की आवश्यकता है। Since the assessment and recruitment of the CSIR scientists are on-going processes, the Senate is required to update such lists from time to time.

12.2 शासी निकाय के उपाध्यक्ष या सेनेट या निदेशक की सिफारिश पर अकादमी सीएसआईआर से सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों को उपयुक्त पदनाम के साथ अकादमी के संकाय सदस्यों के रूप में समावेश कर सकता है। एसे सभी समावेशण को शासी निकाय के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। The Academy can also induct scientists of CSIR, who have superannuated, as faculty members of the Academy with appropriate designation on the recommendation of the Vice-

Chairperson of the Board or the Senate or the Director. All such inductions shall be placed before the Board for approval.

12.3 इसके अलावा, शासी निकाय प्रख्यात वैज्ञानिकों, विशिष्ट व्यक्तियों, शिक्षाविदों आदि को, जो भारत के नागरिक होना जरूरी नहीं है, अकादमी प्रोफेसर का उच्चतर शीर्षक देकर सम्मानित कर सकता है। ऐसे शीर्षकों की सख्या में कोई प्रतिबंध नही होगा। Further, the Board can honor and confer on eminent scientists, personalities, academicians, etc. who may not necessarily be citizens of India, with the higher title of "Academy Professor". There shall be no restriction on the number of such titles.

अकादमी प्रोफेसरशिप केवल उन्हीं प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनका सबसे असाधारण अकादमिक योगदान और असाधारण विद्धत्तापूर्ण कार्य हो। The Academy Professorships will be offered to only eminent individuals with most exceptional academic contributions and extraordinary scholarly work,.

12.4 शासी निकाय ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जो अकादमी के कुशल कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक माना जाता है। The Board shall appoint such employees as considered necessary for the efficient functioning of the Academy.

12.5 निदेशक, असोसिएट निदेशक, डीन और एसोसिएट डीन को छोडकर अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति Appointment of academic staff other than Director, Associate Directors, Deans and Associate Deans

अकादमी के सभी शैक्षणिक पद, जिनकी सीधी भर्ती होती है, विज्ञापित किया जाएगा। तथापि, शासी निकाय को, सेनेट और अकादमी के निदेशक की सिफारिश पर, यह निर्णय लेने का अधिकार है कि क्या किसी पद को नामांकन या निमंत्रण द्वारा भरा जाए। ऐसे नामांकन या निमंत्रण अकादमी में कार्यरत स्टाफ से या उद्योग, शिक्षा और समाज के अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों के प्रख्यात और विशेषज्ञ सदस्यों से हो सकता है। अकादमी भारत और विदेश के अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से भी अपने गौणकोटीय और विसिटिंग संकाय के लिए विचार कर सकती है। संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता और पात्रता का मानदड तथा नियुक्त होने वालों के पदनाम को इस प्रयोजन के लिए बनाए अध्यादेश में उल्लिखित किया जाएगा। All academic posts of the Academy, filled up by direct recruitment, shall be advertised. However, the Board, on recommendation of the Senate and Director of the Academy, shall have the right to decide whether a particular position might be filled by nomination or invitation. Such nominations or invitations could be from within the staff of the Academy or from eminent and expert members from the industry, academia and other relevant segments of the society. The Academy can also consider positions of adjunct and visiting faculty from other reputed academic institutions from India and abroad. The qualifications and eligibility criteria for being appointed as faculty and the designation to be given to the appointees shall be set forth in an ordinance to be framed for the purpose.

12.6 एसीएसआईआर में सीएसआईआर के वैज्ञानिकों के लिए मानद शैक्षणिक पद Honorary academic positions for CSIR scientists in AcSIR

सीएसआईआर में स्थिति Position in CSIR	एसीएसआईआर में पदनाम * Designation in AcSIR*
वैज्ञानिक Scientist	सहायक प्रोफेसर Assistant Professor
वरिष्ठ वैज्ञानिक Senior Scientist	
प्रधान वैज्ञानिक Principal Scientist	एसोसिएट प्रोफेसर Associate Professor
वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक Senior Principal Scientist	प्रोफेसर Professor
मुख्य वैज्ञानिक Chief Scientist	
निदेशक / उत्कृष्ठ वैज्ञानिक Director/ Outstanding Scientist	उत्कृष्ठ प्रोफेसर Outstanding Professor
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक Distinguished Scientist	प्रतिष्ठित प्रोफेसर Distinguished Professor
सीएसआईआर एमेरिटस वैज्ञानिक CSIR Emeritus Scientist	एमेरिटस प्रोफेसर Emeritus Professor
महा निदेशक (पूर्ण कालिक) Director General (Full time)	प्रोफेसर ऑफ एमिनेन्स Professor of Eminence

* *एसीएसआईआर के संकाय के दिशा निदेशों के अनुसार दिए गए पदनाम*

* *Designations given as per Faculty Guidelines of AcSIR*

12.7 एसीएसआईआर में अन्य शैक्षणिक पद Other academic positions in AcSIR

एसीएसआईआर में स्थिति Position in AcSIR	पात्रता Eligibility	पारिश्रमिक Remuneration
सहायक संकाय (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर) (3 वर्ष, नवीकरणीय) Adjunct Faculty (Professor, Associate Professor, Assistant Professor) (3 year term, renewable)	सीएसआईआर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान में प्रतिभागी अन्य संस्थानों, उद्योगों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों/इकाइयों के शिक्षाविद Academicians from other Institutes, Industry and International Institutes/Units participating in collaborative research with CSIR	मानद Honorary
एमेरिटस प्रोफेसर (3 वर्ष, नवीकरणीय) Emeritus Professor	नियमित पदों से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त/सेवा निवृत्त प्रख्यात शिक्षाविद Eminent	समय समय पर जारी की जा रही अलग-अलग अधिसूचना द्वारा तय

(3 year term, renewable)	academicians superannuated/retired from regular positions	किया जाना है। To be fixed by separate notification from time to time
विशिष्ट एमेरिटस प्रोफेसर (3 वर्ष, नवीकरणीय) Distinguished Emeritus Professor (3 year term, renewable)	अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति से परे सीएसआईआर के निदेशक/उत्कृष्ठ/प्रतिष्टित वैज्ञानिक Directors/ Outstanding/ Distinguished Scientists of CSIR beyond superannuation	समय समय पर जारी की जा रही अलग-अलग अधिसूचना द्वारा तय किया जाना है। To be fixed by separate notification from time to time
प्रोफेसर ऑफ एमिनेन्स Professor of Eminence	महानिदेशक, सीएसआईआर के बराबर के प्रतिष्ठित शिक्षाविद/वैज्ञानिक DG, CSIR and other Scientists of equivalent eminence	मानद Honorary
अकादमी प्रोफेसर (जीवन भर की स्थिति) Academy Professor (Lifetime position)	राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम प्रतिष्ठित शिक्षाविद/ वैज्ञानिक Academicians of highest national and international eminence	मानद Honorary

विधि STATUTE 13

डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करना CONFERMENT OF DEGREES AND DIPLOMA

13.1 अकादमी द्वारा प्रदत्त डिग्रियों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इनमें सीमित नहीं: The degrees conferred by the Academy include, but not limited to, the following:

i) एम.टेक M.Tech

ii) पीएचडी : विज्ञान, इंजीनियरिंग और सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी में। Ph.D in Science, Engineering and Social Science & Humanities

iii) एकीकृत एम.टेक. - पीएचडी : इंजीनियरिंग में। Integrated M.Tech - Ph.D in Engineering

iv) एकीकृत पीएचडी - विज्ञान या इंजीनियरिंग Integrated PhD in Science or Engineering

v) एकीकृत एमएससी-पीएचडी : विज्ञान में। Integrated M.Sc - Ph. D in Science

vi) एम.एस- अनुसंधान द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग - M.S by Research in Science and Engineering

vii) ऑनर्स ड्यूएल डिग्री Honors Dual Degree

viii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा-फिनिशिंग स्कूल में (एक/दो वर्ष की पीजी डिप्लोमा) PG Diploma in Finishing School (One/Two year PG diploma)

ix) डिप्लमो - नए ज्ञान के क्षेत्रों में(लघु अवधि डिप्लमो) Diploma in areas offering new knowledge (Short term diploma)

13.2 डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के बारें में सेनेट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। Conferment of Degrees and Diplomas will be decided by the Senate.

विधि STATUTE 14

कार्यक्रम के फीस PROGRAMME FEES

अकादमी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के फीस इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर जारी किए जा रहे अध्यादेशों में निर्धारित किया जाएगा। The fees for the different programs offered by the Academy will be defined through Ordinances to be framed for the purpose, from time to time.

14.1 फीस की संरचना Structure of Fees

विभिन्न पाठ्यक्रमों के फीस संबन्धित बोर्ड ऑफ स्टडीस से परामर्श करते हुए सेनेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। शासी निकाय द्वारा इसका अनुसमर्थन किया जाएगा। The fee structure for various courses of studies shall be defined by the Senate in consultation with the concerned Board of Studies. These shall be subject to the ratification by the Board**.**

अकादमी के फीस इस प्रकार होगा कि जिससे समाज के कमजोर वर्ग भी नए ज्ञान प्राप्त करने में दूर न रह जाए। The fees of the Academy shall be such that it will not deter the weaker section of the society to have an access to new knowledge.

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रेरित प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करने तथा उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अकादमी उन्हें फेलोशिप देने के लिए प्रावधान कर देगी। The Academy will make provisions for the institution of fellowships to provide support to attract motivated brilliant students from the economically weaker section of the society.

फीस सरकार समर्थित तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ तुलनीय होगा। The fees shall be comparable with Government supported technical and professional institutes.

14.2 फीस का संग्रहण तथा देर फीस और जुर्माना का प्रावधान Collection of Fees and Provision of Late Fees and Fines

फीस के संग्रहण की पद्धति का निर्णय सेनेट द्वारा समय समय पर लिया जाएगा और उसे अध्यादेश में शामिल किया जाएगा तथा सार्वजनिक सूचना के लिए अकादमी के वेब्साइट पर परिचालित किया जाएगा। The methodology of collection of fees shall be decided by the Senate from time to time and shall be incorporated in the Ordinance and also circulated for public information through the website of the Academy.

फीस के विलंबित भुगतान के मामलों में अकादमी लेट-फीस चार्ज करेगी। लेट-फीस/जुर्माना और समय फ्रेम सहित अन्य मुद्दों का विवरण इसी संबन्ध में जारी अध्यादेश के अनुसार होगा। The Academy shall charge late fees for cases of delayed payment of fees. Details of late fees/ fines and other related issues including time frame etc. shall be as per the Ordinance framed in this regard.

विधि STATUTE 15

पुरस्कार, फेलोशिप, छात्रवृत्ति आदि का संस्थापन INSTITUTION OF AWARDS, FELLOWSHIPS, SCHOLARSHIPS ETC.

15.1 उपहार और पुरस्कार समिति The Gifts and Awards Committee

सेनेट एक उपहार एवं पुरस्कार समिति के द्वारा अकादमी से संबन्धित सभी उपहार और पुरस्कारों का प्रशासन करेगा। The Senate shall administer all gifts, benefactions and awards related to the Academy through a Gifts and Awards Committee.

उपहार एवं पुरस्कार समिति की निम्नानुसार संरचना होगी:- The Gifts and Awards Committee shall have the following composition:

क) अकादमी के निदेशक (अध्यक्ष);
a) The Director of the Academy (Chairperson);
ख) एसोसिएट निदेशक (संसाधन विकास और नेटवर्किंग) और एसोसिएट निदेशक(शैक्षणिक);
b) Associate Director (Resource Development and Networking) and Associate Director (Academic);
ग) सभी डीन;
c) All the Deans;
घ) महानिदेशक, सीएसआईआर की एक नामिती।
d) One nominee of DG, CSIR; and
ङ) एक बाहरी सदस्य जिसने किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया हो/कार्यरत हो अथवा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के समतुल्य अधिकारी।
e) One external member who has served/serving not below the rank of Professor of a university or equivalent officer of the National Laboratories.

बशर्ते कि तथा किसी भी उपहार, वित्तीय सहायता या दान से जुड़ी किसी भी विशेष प्रक्रिया का प्रशासन सबंधी व्यवस्थापन की प्रक्रिया नियम और शर्तों उपर्यक्त समिति द्वारा बनाएगी। The above committee shall lay down the procedure of administration of the gift or benefaction, provided that where the terms and conditions attached to any gift, endowment or benefaction lay down any particular procedure for administration thereof, such procedure shall be followed.

15.2 पुरस्कार और फैलोशिप का संस्थापन Institution of Awards and Fellowships

विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और फेलोशिप के संस्थापन संबन्धी प्रस्ताव उपहार एवं पुरस्कार समिति की संस्तुति के साथ सेनेट शासी निकाय को प्रस्तुत करेगा। ऐसे पुरस्कार और फेलोशिप में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन प्रतिबांधित नहीं : The Senate, on recommendation of the Gifts and Awards Committee, shall place before the Board proposals for institution of different forms of awards and fellowships. Such awards and fellowships, shall comprise , but not be restricted to, the following:

क) विशेष मेडल और साइटेशन a) Special Medals and Citations;
ख) पूर्व- डॉक्टरल, उत्तर-डॉक्टरल और विशेषीकृत पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए एन्डोव्मेंट अध्येतावृत्ति; b) Endowment Fellowships for pre-doctoral, post-doctoral and specialized courses of studies;
ग) सर्वोत्तम शोध-पुरस्कार; c) Best Research Awards;
घ) नवीन प्रौद्योगिकी पुरस्कार; d) Innovative Technology Awards;

ङ) यात्रा अध्येतावृत्ति; e) Travel Fellowships;
च) मेरिट छात्रवृत्ति f) Merit Scholarships;
छ) शोध पर्यवेक्षकों के लिए वृत्तिका g) Bursaries for research supervisors.

उपर्युक्त पुरस्कार और फेलोशिप के संस्थापन संबन्धी प्रक्रियाओं का विवरण उपहार एवं पुरस्कार समिति द्वारा समय-समय पर निर्णय किया जाएगा और तदुपरान्त इसकेलिए सेनेट का अनुमोदन माँगी जाएगी। The details of the procedures for institution of the above awards and fellowships shall be decided by the Gifts and Awards Committee from time to time and subsequent approval of the Senate shall be sought.

15.3 अनुदान स्वीकार करने या ऋ्रण लेने के लिए वित्त समिति से परामर्श किया जाना Finance Committee to be consulted for accepting grants or raise loans.

अकादमी द्वारा बाहरी श्रोतों से अनुदान स्वीकार करने या ऋण लेने की इरादा की स्थिति में शासी निकाय के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले उसी विषय पर वित्त समिति की सहमती लेना अनिवार्य होगा। In the event of the Academy accepting grants from external sources or intending to raise loans, the concurrence of Finance Committee on such matters shall be mandatory before placing the same before the Board for approval.

साधारणत: एसीएसआईआर द्वारा अध्येतावृत्ति/सहायतावृत्ति या वित्तीय सहायता नहीं हो जाएगी। एसीएसआईआर छात्रों द्वारा सीएसआईआर-यूजीसी नेट जेआरएफ/एसआरएफ प्राप्त करने या किन्हीं अन्य श्रोतों से अन्य प्रकार की अध्योतावृत्ति प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है। तथापि, एसीएसआईआर उद्योगों/परोपकारी संस्थाओं द्वारा प्रायोजित कुछ फेलोशिप माज के कमजोर वर्ग के मेधावी, प्रतिभावान, प्रेरित छात्रों के लिए प्रदान करेगा। किसी भी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता इस प्रयोजन के लिए जारी अध्यादेश के अनुसार होगी। Fellowship/assistantship or financial support shall not be usually provided by AcSIR.AcSIR students are expected to receive CSIR-UGC NET JRF/SRF or other fellowships from other sources. However, AcSIR shall provide some fellowship/sponsored fellowship by industries/philanthropic entities for meritorious, talented, motivated students from the weaker section of the society. Any other financial support shall be as per the ordinances framed for the purpose.

15.4 वार्षिक रिपोर्ट में पुरस्कार, उपहार और ऋ्रण आदि से संबन्धित उल्लेख किया जाना Mention of Awards, Gifts, and Loans etc. to be made in the Annual Report

अकादमी के वार्षिक रिपोर्ट में उस अवधि के पौर दिए गए सभी प्रकार के पुरस्कार, फेलोशिप और मेडल सहित उपहार, दान, वित्तीय सहायता आदि का उल्लेख होगा। The Annual Report of the Academy shall contain a list of all gifts, benefactions and endowments along with mention of all awards, fellowships and medals given over the said period of time.

15.5 सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के तहत पुरस्कार, वित्तीय सहायता को जारी रखना Awards, Endowments under the CSIR Laboratories to continue

इन विधियों में निहित प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को, भले ही अकादमी के साथ उनकी रिश्ता हो, अपने पुरस्कार, दान और वित्तीय सहायता जारी रखने या उसके संस्थापन की स्वतंत्रता है। , ऐसी अध्येतावृत्ति, पुरस्कार, उपहार और वित्तीय सहायता आदि देने की प्रक्रिया; उनके प्रशासन आदि को संबन्धित प्रयोगशाला द्वारा तय किया जाएगा और वे इन विधियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। Without prejudice to the provisions contained in these Statutes, CSIR laboratories shall have the freedom to continue with or have their own awards, benefactions and endowments, irrespective of their relationship with the Academy. The procedure for grant of such fellowships, awards, gifts and endowments; their administration etc. shall continue to be decided by the respective laboratories and shall not come under the purview of these Statutes.

विधि STATUTE 16

सम्पदा, उपहार, वित्तीय सहायता और दान के प्रशासन
ADMINISTRATION OF ESTATES, ENDOWMENTS, GIFTS & BENEFACTIONS

16.1 सम्पदा Estates

अकादमी, जहाँ आवष्यक हो, अपनी संपदा रख सकती है। . The Academy may, where necessary, have its own 'Estates'.

16.2 सम्पदा का स्वामित्व Ownership of Estates

अकादमी के स्वामित्व वाली सम्पदा या तो एक फ्री-होल्ड शीर्षक पर या कम से कम 99 वर्षों के लीज पर होगी। अकादमी के निदेशक द्वारा अकादमी के स्वामित्व और लीज विलेख में हस्ताक्षर करेगा। तथापि, अकादमी छोटी अवधि के लिए, नवीकरण के लिए प्रावधान के साथ, आवास को लीज/किराए पर ले सकती है। Estates owned by the Academy shall be either on a free-hold title or on a lease for not less than 99 years. Ownership and lease deeds for the Academy shall be signed by the Director of the Academy. However, Academy may lease/rent any accommodation for shorter duration with provision for renewal for its functioning.

16.3 सम्पदा का उपयोग Use of Estates

अपने स्वामित्व वाली या लीज/किराए पर ली गई सम्पदा को अकादमी के जानादेश से संबन्धित प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु अकादमी के पास अधिकार होगा। इस दृष्टिकोण से, अकादमी अपनी सम्पदा को निम्न प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकती है: The Academy shall have the rights and privileges to use the estates owned or leased/rented by it for purposes that are in line with the mandate of the Academy. To this end, the Academy can put into usage its estates for the following purposes:

- क) शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के निर्माण के लिए; a) To build teaching and research infrastructure;
- ख) अकादमी के जनादेश के अनुसार नॉलेज पार्क और इन्क्युबेटरों के निर्माण के लिए; b) To build knowledge parks and incubators in furtherance of the mandate of the Academy;
- ग) अतिथि गृह, कन्वेंशन सेंटर, प्रदर्शनी पवलियन आदि सहायक सुविधाओं के निर्माण के लिए; c) To build ancillary facilities such as guesthouses, convention centres, exhibition pavilions etc.;
- घ) प्रयोगात्मक खेतों, कार्मशालाओं और परीक्षण सुविधाओं के निर्माण के लिए। d) To build experimental farms, workshops and test facilities.

16.4 सम्पदा का प्रशासन Administration of Estates

अकादमी को एक सम्पदा कार्यालय होगा जिसे अकादमी की सम्पदाओं से संबन्धित सभी मामलों के प्रशासन का अधिकार है। The Academy shall have an Office of Estates that shall be empowered to administer all affairs of Estates of the Academy.

16.5 उपहार, वित्तीय सहायता और दान का प्रशासन

Administration of Gifts, Endowments and Benefactions

अकादमी में ऐसा एक कार्यालय होगा जिसको उपहार, वित्तीय सहायता और दान सबन्धी सभी मामलों के प्रशासन का अधिकार है। उपहार, वित्तीय सहायता और दान को स्वीकार करने से पहले अकादमी दानदाताओं के पूर्ववृत्त का सही दंग से सत्यापन करेगा। The Academy shall have an office that shall be empowered to administer all affairs of gifts, endowment and benefactions. Academy shall carry out appropriate verification of the antecedence of the donors before accepting the gifts, endowments and benefactions.

16.6 वित्तीय सहायता Endowments

वित्तीय सहायता में अकादमी द्वारा उपहार और दान सहित विभिन्न श्रोतों से प्राप्त वे सारे धन और अन्य चलित सम्पत्ति शामिल होगा, लेकिन केबल उपहार और दान तक प्रतिबन्धित नहीं । Endowments shall consist of all those monies and other movable assets received by the Academy from various sources including but not restricted to gifts and donations.

16.7 उपहार की स्वीकृति Acceptance of Gifts

अकादमी अपने संसाधन को बढाने के लिए तथा शिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्वता को बनाए रखने के लिए उपहार को स्वीकार करेगी। The Academy shall promote the solicitation and acceptance of gifts in order to augment its own resources and to further the commitment it has for achieving excellence in teaching, learning and research.

16.8 अकादमी द्वारा प्राप्त उपहार के विनियमन के सामान्य प्रावधान

General Provision Regulating Gifts to Academy

क) अकादमी ऐसा कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा जो उसे अन्य दाताओं से उपहार स्वीकार करने से रोकता है। a) The Academy shall not accept any gift that shall preclude it from accepting gifts from other donors.

ख) अकादमी ऐसा कोई उपहार स्वीकार नही करेगा जिससे किसी लागू कानून या विनियम का उल्लंघन होगा और वह अपने पास किसी भी उपहार को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। b) The Academy shall not accept any gifts that shall violate any applicable law or regulation and reserves the right to reject any gift.

ग) अकादमी के लिए एक उपहार देने का कार्य और उसका उद्देश्य, अकादमी की प्रचलित नीतियों और प्रक्रियाओं के अधीन, एक बार स्वीकार करने से स्थिर हो जाएगा। c) The act of giving a gift to the Academy shall be irrevocable and the gift and the gift-purpose, once acceded to, shall be subject to the prevailing policies and procedures of the Academy.

16.9 उपहार से संबन्धित अवसरों के नामकरण के लिए प्रावधान

Provisions for Naming Opportunities related to Gifts

क) उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी, यदि उपहार द्वारा प्रस्तावित नामकरण के लिए पात्रता हेतु उपहार के न्यूनतम स्तर का निर्धाण शासी निकाय द्वारा समसय समय पर किया जाएगा तथा प्रत्येक मामले के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

a) In recognition of a gift made by a donor, the Academy shall provide the donor with a naming opportunity like named Chairs or Fellowships within the Academy with approval of the Board.The minimum level of the gift to qualify for a naming

opportunity, shall be set by the Board from time to time, and shall be decided on a case by case basis.

ख) उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी, यदि उपहार द्वारा प्रस्तवित नामकरण का मौका अनादर के चक्कर में पड जाए या उपहारदाता द्वारा प्रस्तवित नाम बाद में अनादरणीय दिखाई पडे तो एसे और या उपहार और दान को बदं करने के लिए शासी निकाय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

b) Notwithstanding the provision set above, if a donor offered with a naming opportunity falls into disrepute or the name proposed by the donor is found at a later date to be of disrepute, the Academy shall reserve the right to discontinue the use of the relevant name and or gift, donation and benefaction as may be decided by the Board.

16.10 उपहार दाताओं के अधिकार Rights of Donors

क) अकादमी द्वारा प्राप्त सभी उपहार का उपयोग उपहार प्रयोजन के अनुसार किया जाएगा। उपहार और उपहारदाता से संबन्धित सभी जानकारी तब तक गोपनीय माना जाएगा जब तक कि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण किसी कानूनी अदालत के आदेश के अनुसरण में या किसी लागू नियम के प्रावाधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक हो।

a) All gifts received by the Academy shall be used in accordance with the gift purpose. All information related to the donor and the gift shall be treated as confidential unless disclosure of such information is in pursuance of an order of any Court of Law or is required in compliance with provisions of any applicable Law.

ख) अकादमी उपहार नियमों से सबन्धित अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार समुचित रूप से उपहार के लिए पावती और उपहार दाता के प्रति आभार प्रकट करेगी।

b) The Academy shall appropriately acknowledge and recognize the donors and their gifts according to such criteria as may be stipulated by Ordinances framed in this regard.

16.11 उपहार प्रयोजन में परिवर्तन करने की शक्ति शासी निकाय में निहित है
Right to Alter Gift Purpose rests with the Board

अकादमी उपहार को उसी प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए प्रयास करेगी कि जिस प्रयोजन के लिए उसे प्राप्त किया गया था। तथापि, शासी निकाय को, असाधारण परिस्थिति में अकादमी की आवश्यकताओं को मानते हुए, उपकार उद्देश्य को एक हद तक आवश्यक परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। शासी निकाय के अनुमोदन पर एन्डोव्मेंट कार्यालय इसके लिए उपहार दाता की सहमति प्राप्त करने की कोशिश करेगा। The Academy shall endeavor to use the gift for the purposes for which it was received. The Board shall, however, be authorized to alter the gift purpose to an extent required under exceptional circumstances, in order to keep in tune with the requirements of the Academy. On approval of the Board, the Endowment Office shall try to seek and obtain concurrence of the donor in this respect.

16.12 उपहारों के प्रशासन और प्रबन्धन Administration and Management of Gifts

अकादमी को उपहार प्रयोजन के अनुसार उपहार के उपयोग और उसके प्रशासन के लिए पूर्ण अधिकार होगा। The Academy shall have the sole right to use the gift and administer the gift in accordance with the gift purpose.

अकादमी को उपहार और एन्डोव्मेंड निवेश करने करने का भी अधिकार होगा। The Academy shall have the right to invest gifts and endowments.

16.13 अकादमी की एन्डोव्मेंड निधि The Endowment Fund of the Academy

अकादमी को दान में प्राप्त पूरे घन को वैज्ञानिक एवं नवीकृत अनुसंधान अकादमी एन्डोव्मेंड कोष मे रखा जाएगा। यह कोष पूँजी बन जाएगा और इससे प्राप्त आय से एन्डोव्मेंड से संबन्धित सभी खर्चाओं का भुगतान किया जाएगा। एन्डोव्मेंड निधि के प्रबन्धन और प्रशासन निम्नानुसार होगा : All endowments donated to the Academy shall be placed in a fund called the Academy of Scientific and Innovative Research Endowment Fund. This fund shall constitute the capital and all payments required to be made in respect of all such endowments, shall be paid out of the income accruing to the said Endowment Fund. The management and administration of the Endowment Fund shall be as follows:

क**)** अकादमी को निधि के प्रशासन का पूर्ण प्राधिकार होगा; a) The Academy shall have the sole authority of administering the fund;

ख**)** सेनेट एक एन्डोव्मेंड निधि समिति को नियुक्त करेगा जिसमें कम से कम पाँच सदस्य और साधारणत: इसका अध्यक्ष एसोसिएट निदेशक (प्रशासन और वित्त) होंगे। इस समिति को विधि के अनुसार उपलब्ध किसी भी निवेश के लिए अधिकार होगा। b) The Senate shall appoint an Endowment Fund Committee, consisting of not less than five members, ordinarily under the chairpersonship of the Associate Director(Administration and Finance). The Committee shall have the powers to make any investments available under the Law.

ग**)** अकादमी निधि से प्राप्त आय से निधि के प्रबन्धन संबन्धी खर्चा करेगी।

c) The Academy shall, out of the fund income, pay for all expenses for managing the fund.

घ**)** अकादमी, शासी निकाय के अनुमोदन से, निधि से प्रप्त आय का हिस्सा आवश्यकता के अनुसार समय समय पर पूँजी के साथ जोडने का कार्य करेगा जो मुद्रास्फीति और अन्य कारणों से होने वाली मूल्यह्रास से निधि की पूजी को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है। d) The Academy shall, with the approval of the Board apportion such part of the fund income, from time to time, to form part of the capital of the fund, as may be necessary, to preserve the value of the capital of Fund to offset any depreciation in the value of the capital of the fund due to inflation and other such factors.

ङ**)** हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, वित्त समिति की शिफारिश पर शासी निकाय द्वारा पूर्वनिर्धारित दर के अनुसार, प्रत्येक एन्डोव्मेंड को वार्षिक वितरण आय प्राप्त होगा। अकादमी के एन्डोव्मेंड निधि का उपयोग इस प्रयोजन के लिए जारी अध्यादेश में उल्लिखित विवरण के अनुसार किया जाएगा । e) At the beginning of every financial year, each endowment shall receive an annual distribution of expendable income at a predetermined fixed rate that shall be fixed by the Board, on recommendation of the Finance Committee. The use of the Endowment Fund of the Academy shall be made for purposes as elaborated in the Ordinances framed for the purpose.

विधि STATUTE 17

अनुशासन और आचरण DISCIPLINE AND CONDUCT

17.1 विधियों के प्रयोजन के लिए, ये नियम स्टाफ और छात्रों सहित अकादमी से संबद्ध सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। For the purpose of Statutes, these rules shall cover all personnel associated with the Academy including staff and students.

17.1.1 एसीएसआईआर आचरण नियम AcSIR Conduct Rules

अकादमी के सभी कर्मचारियों पर एसीएसआईआर आचरण नियम लागू होगा। इसका विस्तृत विवरण इस प्रयोजन के लिए बनाए गए अध्यादेश में दिया जाएगा। तथापि, सीएसआईआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं/केन्द्रों/इकाइयों में कार्यरत एसीएसआईआर के सभी छात्रों को संबन्धित प्रयोगशाला/केन्द्र/इकाई के नियमों और सुरक्षा संबन्धी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। All employees of the Academy shall be governed by the AcSIR Conduct Rules. The details in this regard shall be elaborated in the Ordinance framed for the purpose. However, all students of AcSIR working in various CSIR Laboratories/Centres/Units must adhere to the rules and safety guidelines of the respective Laboratory/Centre/Unit.

17.1.2 अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी Disciplinary Authority and Appellate Authority

अकादमी के अनुशासन और आचरण संबन्धी सभी मामलों में अकादमी के निदेशक अनुशासनिक प्राधिकारी होगा और शासी निकाय के उपाध्यक्ष अपीलीय प्राधिकारी होगा। The Director of the Academy shall be the Disciplinary Authority for all discipline and conduct related matters of the Academy; the Vice Chairperson of the Board shall be the Appellate Authority.

17.1.3 छात्रों के संबंध में अनुशासन Discipline with respect to Students

क) अनुसूचित अपराध: a) Scheduled Offences:

इस विधि के प्रयोजन के निम्नलिखित अपराधों को अनुसूचित अपराध माना जाएगा: The following offences shall be considered as Scheduled Offences for the purposes of this Statute:

i) विधियों, अध्यादेशों और विनियमों की किसी भी घारा, आचरण संहिता तथा उनके तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के उल्लंघन । Contravention of any of the Articles of the Statutes, Ordinances and Regulations, Code of Conduct and Procedures prescribed there under;

ii) अकादमी या उसकी घटक प्रतिष्ठानों, सीएसआईआर के प्रतिष्ठानों सहित, से संबन्धित संपत्ति की क्षति या विद्रूपण। Damage or defacement of property belonging to the Academy or its constituent establishments including establishment of CSIR;

iii) उपाधियों,परीक्षाओं, प्रवेश आदि से संबन्धित दस्तावेजों, प्रमाण पत्र आदि का मिथ्याकरण या दुरूपयोग। Falsification or misuse of documents, certificates etc. in connection with degrees, examinations, admissions etc

iv) धोखाधडी, बेइमानी, प्रतिरूपण और इसी प्रकार के अन्य दुर्व्यवहार; Fraud, dishonesty, impersonation and similar act of misbehavior;

v) अकादमी के अधिकारियों पर अक्रमण और उनकी मानहानि; Defamation or assault of Academy officials

vi) अकादमी के कार्मिक या छात्र के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ य बिना उचित कारण से शिकायत दर्ज करना। Lodging complaints against any Academy personnel or student with malicious intention or without reasonable cause;

vii) साहित्यिक चोरी या इस से जुडे हुए अन्य दुर्भावनापूर्ण व्यवहार। Plagiarism or any malafide act connected thereto;

viii) अकादमी के शैक्षणिक या प्रशासनिक गतिविधियों में अथवा अकादमी के कर्मचारी के कार्यनिष्पादन में व्यवधान या अनुचित हस्तक्षेप। Disruption or improper interference with academic activities or administration of the Academy or with performance of duties by an employee of the Academy.

ख) दंडनीय अपराध: b) Criminal Offences:

विधि के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अपराधों को दंडनीय अपराध समझा जाएगा: किसी अपराध जिसमें आपराधिक गतिविधि शामिल है; The following offences shall be considered as Criminal Offences for the purposes of this Statute:

i) Any offence involving in criminal activity;

ii) अकादमी की निधि और संपदा की चोरी, धोखाधडी या दुरूपयोग से संबन्धित; Theft, fraud or misapplication in connection with funds or property of the Academy;

iii) रागिगं, शब्द के व्यापक अर्थ पर प्रभाव डाले बिना, जिससे एक अन्य छात्र की शाँति, विशेषाधिकार, लाभ और अधिकारों या सुविधाओं में हस्तक्षेप करना; उसको शारीरिक नुकसान और मानसिक संताप पहूँचाना। Ragging, which shall without prejudice to the generality of the term, include conduct intended to humiliate another student or hold such other student up to ridicule; interfere with another student's peace, privilege, benefits and rights or facilities; activities causing physical harm and mental agony;

iv) अकादमी के किसी कर्मचारी या छात्र को यौन, जातीय, साम्प्रदायिक और इसी प्रकार का अन्य उत्पीडन देना। Sexual, racial, communal and any other similar type of harassment to any employee or student of the Academy.

17.2 अनुशासनात्मक शक्तियाँ Disciplinary Powers

अकादमी के सक्षम प्राधिकारी, जैसे अध्यादेश में दिया गया है, अपराध के उपर्युक्त मामलों में अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करेगा। इस संबन्ध में विस्तृत विवरण इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए अध्यादेश में दिया जाएगा। The Competent Authority of the Academy as provided in the Ordinances shall exercise disciplinary powers in respect of the offences mentioned above. Details in this regard shall be elaborated in the Ordinance framed for this purpose.

अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अब अकादमी का छात्र न रह गया तो भी इस शर्त पर उस पर अनुशासनिक कार्रवाई का प्रयोग करेगा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थितियाँ जन्म लेते समय यह व्यक्ति अकादमी के एक छात्र था। Disciplinary powers shall be exercised notwithstanding that the person liable to be subjected to disciplinary action has ceased to be a student of the Academy provided that the circumstances giving rise to the disciplinary proceedings arose while the person was a student of the Academy or in connection with the person's admission to a course of study in the Academy.

17.3 अनुशासन कार्यान्वयन Discipline Implementation

एक छात्र से संबन्धित सभी अनुशासनिक मामले एसोसिएट निदेशक(छात्र कार्य) या किसी अन्य एसोसिएट निदेशक, जिनको यह कार्य सौंपा गया हैं, को प्रस्तुत किया जाएगा और वह इस में जाँच करेगा तथा जाँच परिणाम के आधार पर उसकी सिफारिशों को निदेशक द्वारा स्वीकार किया जाता है तो 18.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में निदेशक के निदेशानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। All allegations regarding discipline involving a student shall be submitted to and looked into by the Associate Director (Student Affairs) or such Associate Director as may be entrusted with the responsibility and based on his findings, his recommendations as accepted by the Director shall be followed up by disciplinary proceedings as per 18.2, as directed by the Director in each case.

विधि STATUTE 18

अन्य संगठनों और संस्थाओं के साथ संबन्ध RELATIONSHIP WITH OTHER ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS

18.1 राष्ट्रीय संस्थानों के साथ संबन्ध Relationship with National Institutions

अकादमी अन्य राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के साथ उनके उद्देश्य और गतिविधियों से अवगत होने के लिए शैक्षिक संबन्ध स्थपित करने हेतु प्रयास करेगी। The Academy shall endeavor to establish academic relationship with other national institutions and organizations for realization of its objects and activities.

18.2 सीएसआईआर के अलावा अन्य संस्थानों/केन्द्रो के साथ संबन्ध Relationship with Institutes/Centers other than CSIR

अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए, अकादमी किसी भी संस्थान/केन्द्र/प्रयोगशाला के साथ संबन्ध स्थापित करेगी जो सीएसआईआर नेटवर्क के बाहर किसी भी विभाग या मंत्रालय के हो। For the purpose of research and development, the Academy shall promote a seamless relationship with any institute/center/laboratory, belonging to any Department or Ministry outside the CSIR network.

इस रिश्ते में निम्नलिखित शामिल है, लेकिन उन्हीं तक प्रतिबन्धित नहीं: This relationship shall include, but not be restricted to, the following:

- क) अनुसंधान के प्रयोजन के लिए छात्रों को भेजना a) Movement of students for the pursuit of research
- ख) अनुसंधान और शिक्षण के प्रयोजन के लिए संकाय को भेजना b) Movement of faculty for the pursuit of research and teaching
- ग) इन संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदड की स्वीकृति। c) Acceptance of minimum eligibility criteria of these institutions for the purpose of admission of students
- घ) संयुक्त स्कूलों, अंतरसंस्थानीय उपकरणों और कंप्यूटेशनल सुविधाओं का संवर्धन। d) Promotion of joint schools, inter-institutional instruments and computational facilities
- ङ) अन्तर-संस्थागत पुस्तकालय संसाधन को बाँढना e) Promotion of joint schools, inter-institutional instruments and computational facilities
- च) अन्तर-संस्थागत कोर्स क्रेडिट शेयरिंग f) Inter-institutional course credit sharing

18.3 केन्दीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों के साथ संबन्ध Relationship with Central Universities and other Institutions of National Importance

अकादमी के लिए छात्रों के चयन के सबन्ध में अकादमी को देश के सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा आइआईटी, आईआईएसईआर आदि राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों के समतुल्य माना जाएगा; और इसी तरह ऐसे विश्वविद्यालयों संस्थानों से अकादमी में और ठीक इसके विपरीत भी और समतुल्य पाठ्यक्रम के लिए छात्रों का माइग्रेशन। All Central Universities of the country and other institutions of national importance such as IITs, IISERs etc. shall be treated at par with the Academy in regard to competitive selection of students to the Academy; migration of students

from such Universities/Institutions to the Academy and vice versa and equivalence of courses.

18.4 राज्य विश्वविद्यालयों और राज्य संस्थानों के साथ संबन्ध Relationship with State Universities and State Institutions

क) देश के राज्य विश्वविद्यालयों और राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं के साथ शैक्षणिक बात चीत को बढावा देने के लिए आकादमी सक्रिय कदम उठाएगी। a) The Academy shall take proactive steps to promote academic interactions with state universities and state-aided institutions of the country.

ख) एक राज्य विश्वविद्यालय को अकादमी के समतुल्य इस शर्त पर माना जाएगा कि उस विश्वविद्यालय में अपने पठयक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए पात्रता राष्ट्रीय स्तर पर यूजीसी द्वारा निर्धारित पात्रता के बराबर हो तथा उस विश्वविश्वविद्यालय की परीक्षाएं, मूल्यांकन और क्रेडिट आदि राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार निर्धारित हो।

b) A State University shall be considered at par with the Academy provided that the admission to a given course study in such an university follows the same national level eligibility criteria prescribed by UGC and that the examinations, evaluation and credits offered by the university are also in conformity with the prescribed national level standards

ग) आगे, एनएएसी से न्यूनतम तीन स्टार रैंक की मान्यता प्राप्त राज्य विश्वविद्यालयों या निर्दिष्ट विषयों के लिए उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में पहचाने गए केन्द्रों को अकादमी के समतुल्य माना जाएगा। c) Provided further that State Universities accredited by NAAC with a minimum of three star rank or those which have been identified as Centres of Excellence for specified disciplines shall be considered to be at par with the Academy.

घ) उपर्युक्त सभी मामलों के लिए, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों के समतुल्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ निर्बाध संबन्ध स्थापित करने के लिए अकादमी प्रयास करेगी। d) For all the above-noted cases, the Academy shall endeavor to establish a seamless relationship with such universities/institutions in all relevant areas of study similar to those with Central Universities and institutions.

ङ) राज्य सहायता प्राप्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के साथ रिश्ता को बढावा देंगे और इसमें प्रत्येक मामले के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसे सहयोग की रूपरेखा सेनेट द्वारा एसोसिएट निदेशक (शैक्षणिक) की अध्यक्ष्ता में गठित एक उपयुक्त समिति द्वारा तैयार किया जाएगा। इन निर्णयों को सेनेट के अनुमोदन से लागू किया जाएगा। e) Relationship with state-aided institutions in science and technology shall be promoted and considered on a case by case basis. The modalities of such cooperation shall be decided by a suitable committee constituted by the Senate under the Chairpersonship of Associate Director (Academic). These decisions shall be implemented with the approval of the Senate.

18.5 उद्योगों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, गैर सरकारी संगठनों के साथ संबन्ध। Relationship with Industries, PSUs, Autonomous Bodies, NGOs etc.

अकादमी उद्योगों, सार्वजानिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ शैक्षणिक एवं अनुसंधान संबन्धों की स्थापना और उसको बढावा देने के लिए प्रयास करेगी। ऐसे प्रस्तावों को सेनेट द्वारा निदेशक की अध्यक्षता में गठित एक उपयुक्त समिति द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर विचार किया जाएगा। इस समिति में एसोसिएट निदेशक(शैक्षणिक), एसोसिएट निदेशक (संसाधन

विकास और नेटवर्क), संबन्धित क्लस्टर जिसमें संगठन/प्रयोगशाला संबन्धित है, के डीन और सेनेट के एक प्रतिनिधि सदस्य होंगे। The Academy shall endeavor to establish and promote academic and research relationships with industries, PSUs, autonomous bodies and NGOs. Such proposals shall be evaluated on a case by case basis by a suitable committee constituted by the Senate under the Chairpersonship of the Director. The Associate Director (Academic), Associate Director (Resource Development & Network), Deans of the respective cluster to which the organization/laboratory belongs, and one nominee of the Senate who is an expert in the field shall be members of the committee.

18.6 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संबन्ध Relationship with International Institutions

अकादमी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और प्रतिष्ठानों के साथ निर्बाध संबन्ध स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सभी रिश्तों की योजना, प्रबन्धन और कार्यान्वयन संसाधन विकास एवं नेटवर्क निदेशालय द्वारा किया जाएगा। ऐसे रिश्तों को अकादमी के सेनेट द्वारा तैयार किए गए तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित एक समेकित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग नीति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। अकादमी के लिए इस नीति के निर्धारण में सेनेट यह सुनिश्चित करेगा कि यह नीति सुरक्षा संबन्धी राष्ट्रीय नीतियों के साथ सामंजस्यपूर्ण हो। The Academy shall endeavor to establish seamless relationship with international institutions and establishments. All relationships with international institutions shall be planned, managed and executed by the Directorate of Resource Development and Network. Such relationships shall be governed by a comprehensive International Cooperation Policy of the Academy that would be framed by the Senate and approved by the Board. In framing the policy for the Academy the Senate shall ensure that the policy is inconsonance with the national policies especially from security angle in this regard.

18.7 अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रयोगशाला/शिक्षाकेन्द्रों तथा उद्योगों से सहायक संकाय Adjunct Faculty from International/National Laboratory/Academia and Industry

सीएसआईआर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान में भाग लेने वाले सीएसआईआर प्रणाली से बाहर के अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/शिक्षा केन्द्रों/उद्योगों के सर्वश्रेष्ट प्रबुद्ध व्यक्तियों को एसीएसआईआर के सहायक संकाय के रूप में पहचाना जा सकता है जो एसीएसआईआर के छात्रों के लिए सह-गाइड भी हो सकताहै। Best minds drawn from International/National Laboratories/Academia/Industry, outside the CSIR system participating in collaborative research with CSIR, can be recognized as Adjunct Faculty of AcSIR who can be co-guides to students pursuing studies at AcSIR.

विधि STATUTE 19

<u>आपवाद देने की शक्ति POWER TO MAKE EXCEPTION</u>

विधियों के तहत जो कुछ भी निर्धारित होते हुए भी अपवाद देने के लिए सशक्त प्रधिकारी द्वारा अपवाद देने का प्रयोग इस शर्त पर किया जाएगा कि उनके अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा उसका अनुसमर्थन तथा शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा, जिनको किसी विशेष मामले में अपवाद देने के लिए शक्ति है, फिर अनुसमर्थन किया जाएगा। Notwithstanding what may be prescribed under the Statutes the power to make an exception shall be exercised by the authority empowered to take the decision subject to ratification by the next higher authority and subject further to the Chairman of the Board, which shall always have power to make an exception in a particular case.

विधि STATUTE 20

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT

अकादमी के निदेशक एसीएसआईआर अधिनियम, 2011 के खण्ड 22(7) के अनुसार एसीएसआईआर के शासी निकाय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें उस वर्ष के समग्र निष्पादन, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संबन्धी गतिविधियाँ, भौतिक एवं वित्तीय निर्धारण/प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में विवरण हो। The Director of the Academy shall submit its annual report covering the overall performance, academic and research highlights, physical and financial assessment/ progress and other significant achievements during the year of the report to the Board of Governors of AcSIR as per clause 22(7) of the AcSIR Act, 2011.